


बागवानी दर्पण

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मुख्यालय, गुड़गांव (हरियाणा) का प्रवेशांक



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार




बागवानी दर्पण

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की गृह पत्रिका



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL
HORTICULTURE BOARD

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार



बागवानी दर्पण

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, मुख्यालय, गुड़गाँव (हरियाणा)
की गृह पत्रिका का प्रवेशांक (अप्रैल-जून 2012)

प्रधान संपादक

श्री बिजय कुमार आई.ए.एस., प्रबंध निदेशक

संपादक

श्री एन.सी. मिस्त्री,
अपर प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष, रा.का.स.

परामर्श मंडल

डॉ. आर.के. शर्मा, आंचलिक निदेशक
श्री पी.के. सिंह, आंचलिक निदेशक
श्री ब्रजेन्द्र सिंह, आंचलिक निदेशक
श्री डी.पी. सिंह, आंचलिक निदेशक एवं राजभाषा प्रभारी
श्री एस.सी. जैन, उप निदेशक (वित्त एवं लेखा)

कार्यकारी संपादक

श्री सुनील भुटानी,
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं सदस्य-सचिव, रा.का.स.

सहयोग

श्री नरेश कुमार गुप्ता, हिंदी अनुवादक
श्री रणधीर सिंह, हिंदी टाइपिस्ट

'बागवानी दर्पण' में प्रकाशित लेखकों के विचार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड प्रबंधन के विचार हों, यह आवश्यक नहीं है।

संपर्क पता:

प्रधान संपादक, 'बागवानी दर्पण'
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
प्लॉट सं. 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18,
गुड़गाँव-122015 (हरियाणा)
दूरभाष: 0124-2342992; फैक्स: 0124-2342991
ईमेल: mdnhb@yahoo.com

विषय-अनुक्रमणिका

क्र.सं. विवरण	पृष्ठ सं.
1. प्रधान संपादक की कलम से	1
2. संपादक की कलम से	3
3. राजभाषा प्रभारी की कलम से	4
4. कार्यकारी संपादक की कलम से	5
5. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की विकास यात्रा	6
6. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं पर एक नज़र	9
7. फलों के 'राजा' आम और 'रानी' लीची के बागों में मासिक कार्यक्रम - डी. पी. सिंह	12
8. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सेब की सफल बागवानी - डॉ. शांता कुमार दुबे	13
9. शानदार एवं जानदार फल : सेब - सुनील भुटानी	17
10. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से सहायिकी प्राप्त मै0 हितेष्ी हर्बोटिक प्रा0 लि0, जयपुर की परियोजना राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित	18
11. नासिक वैली वाइन - भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री	19
12. आम मलिहाबादी दशहरी - भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री	20
13. कीटनाशक अवशेष नियंत्रण अभियान	20
14. बागवानी उत्पादों के लिए विशेष रेल सेवा	21
15. रा.बा.बो. परिवार की शान : निकिता आर्य	21
16. अंतर्राज्यीय हार्टि-फेअर 'संगम' - 2011	22
17. क्रिकेट : एपीडा बनाम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	22
18. सेवानिवृत्ति : डॉ. (श्रीमती) लिली मित्रा एवं श्री एस.सी. शर्मा - एक रिपोर्ट	23
19. पद और चरित्र - डी.पी. सिंह	23
20. फोटो गैलरी-रा.बा.बो. की उपलब्धियों को दर्शाती तस्वीरें	24
21. हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाएँ बनाम इंग्लिश (लेख) - सुनील भुटानी	30
22. यमलोक में कंप्यूटर (कहानी) - सुनील भुटानी	32
23. अंतरात्मा (लेख) - सुनील भुटानी	35
24. राजभाषा हिन्दी संगोष्ठी : एक रिपोर्ट - सुनील भुटानी	36
25. हिन्दी में टिप्पणी या पत्र लिखना : कितना आसान (लेख) - नरेश गुप्ता	38
26. आर्तनाद (कविता) - निकिता आर्य	40
27. जब चेतना मर गई (कविता) - निकिता आर्य	40
28. जन-जन की हिन्दी (कविता) - नरेश गुप्ता	40
29. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का निदेशक मंडल	41
30. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति	42
31. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	43



बिजय कुमार, आई.ए.एस.
प्रबंध निदेशक



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार



प्रधान संपादक की कलम से

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) भारत में बागवानी के विकास के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण स्वायत्त संस्था है। इस बोर्ड ने अपने स्थापना काल अर्थात सन् 1984 से अब तक अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस बोर्ड की योजनाओं ने देश के प्रगतिशील किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी फसलों की खेती की ओर प्रेरित किया है। इस बोर्ड की महत्वपूर्ण योजनाओं ने देश के प्रगतिशील किसानों को विश्व स्तर की बागवानी तकनीकों से परिचय करवाया है और उन्हें सहायिकी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है जिससे कि वे विश्व के मानचित्र पर भारत को बागवानी के क्षेत्र में स्थापित कर सकें। देश में उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है जिससे विदेशों में भारतीय बागवानी उत्पादों की माँग बढ़ रही है। देश में गुणवत्तायुक्त बागवानी उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बागवानी पौध रोपण सामग्री उपलब्ध करवाने वाली नर्सरियों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रत्यायित किया जा रहा है जिससे प्रगतिशील किसान गुणवत्तायुक्त पौध-रोपण सामग्री प्राप्त कर सकें।

यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने वर्ष 1999-2000 में इस योजना के शुरू होने के समय से लगभग 41000 हैक्टेयर से अधिक वाणिज्यिक बागवानी की परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। वर्ष 2010-11 के दौरान, बोर्ड ने लगभग 24900 एकड़ वाणिज्यिक बागवानी क्षेत्र को कवर करते हुए 5057 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है और ₹0 89.89 करोड़ की सहायिकी जारी की है। इसके अलावा, बोर्ड ने शीत संग्रहगारों और विशेष संग्रहगारों से संबंधित परियोजनाओं के लिए ₹0 56.61 करोड़, प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण के लिए ₹0 3.93 करोड़, बाजार सूचना योजना के लिए ₹0 5.68 करोड़ और रा.बा.बो. के सुदृढीकरण के लिए ₹0 6.60 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की है।


भारत में बागवानी उत्पादों को जल्द खराब होने के बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज का विस्तार किया जा रहा है। देश में मौजूदा कोल्ड स्टोरेज को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करने और नए कोल्ड स्टोरेज को आधुनिक तकनीक से बनाए जाने के लिए बोर्ड द्वारा स्टैंडर्ड तैयार किए गए हैं ताकि भारत में कोल्ड स्टोरेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों और अधिक से अधिक बागवानी उत्पादों को संरक्षित किया जा सके।



इस तरह, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड देश में बागवानी को नई ऊँचाईयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि बोर्ड की योजनाओं को देश के अग्रणी बैंक समर्थन प्रदान करते हुए इन योजनाओं के तहत ऋण के लिए आवेदन करने वाले प्रगतिशील किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। देश से गुणवत्तायुक्त बागवानी उत्पादों का निर्यात निरन्तर बढ़ रहा है। उद्यमी रा.बा.बो. से सहायिकी प्राप्त कर कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर रहे हैं।

भारत के अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग जलवायु और वातावरण होता है। इससे कई बागवानी उत्पाद देश के एक हिस्से में उगाए जा सकते हैं तो कई बागवानी उत्पाद देश के दूसरे हिस्से में उगाए जा सकते हैं। देश के विभिन्न प्रान्तों में उगाए जाने वाले फलों को एक मंच पर लाकर देश के लोगों को उनका रसास्वादन करवाने के लिए, बोर्ड ने 'संगम' नाम से एक अंतर्राज्यीय बागवानी मेला श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला के तहत आयोजित किए जाने वाले मेलों से प्रगतिशील बागवानी उत्पादक किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होते हैं।

रा.बा.बो. की योजनाएँ एवं अन्य गतिविधियों को मूर्त रूप देने में विशेष भूमिका अदा करने वाले रा.बा.बो. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से रा.बा.बो. ने एक हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया किया है। 'बागवानी दर्पण' नाम से प्रकाशित इस हिंदी पत्रिका में रा.बा.बो. की गतिविधियों से संबंधित लेख, रा.बा.बो. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उपलब्ध करवाई गई प्रकाशन सामग्री आदि प्रकाशित की गई है। मैं, इस पत्रिका के संपादक श्री एन.सी. मिस्त्री; कार्यकारी संपादक श्री सुनील भुटानी; परामर्श मंडल के सदस्य डॉ. आर.के. शर्मा, श्री पी.के. सिंह, श्री ब्रजेन्द्र सिंह, श्री धीर पाल सिंह और श्री एस.सी. जैन को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने रा.बा.बो. परिवार के सदस्यों के सहयोग से एक उत्कृष्ट पत्रिका तैयार की है।


(विजय कुमार)



एन.सी. मिस्त्री

अपर प्रबंध निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख तथा
अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार



संपादक की कलम से


राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की ओर से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका “बागवानी दर्पण” का प्रवेशांक आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह पत्रिका रा.बा.बो. परिवार की पत्रिका है। इस पत्रिका में रा.बा.बो. की गतिविधियों के अलावा रा.बा.बो. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की ओर से सृजित ज्ञाप्रद एवं उपयोगी लेख, कहानी, कविता, रिपोर्ट, संस्मरण आदि प्रकाशित किए जाते रहेंगे। जैसाकि पत्रिका के नाम से ही आभास हो जाता है कि यह पत्रिका रा.बा.बो. और इसकी गतिविधियों एवं उपलब्धियों का दर्पण है।

अब तक, रा.बा.बो. देश के प्रगतिशील बागवानी किसानों के लिए अनेक प्रकाशन प्रकाशित कर चुका है जिनमें मासिक बागवानी सूचना सेवा एवं वार्षिक बागवानी डाटाबेस का नियमित प्रकाशन प्रमुख हैं। पिछले लम्बे समय से इस तरह की एक हिन्दी पत्रिका की जरूरत महसूस की जा रही थी जिसमें रा.बा.बो. की योजनाओं एवं गतिविधियों के साथ-साथ रा.बा.बो. परिवार के सदस्यों द्वारा सृजित हिन्दी साहित्य प्रकाशित हो। इस पत्रिका के प्रकाशन से रा.बा.बो. के अधिकारी एवं कर्मचारी बागवानी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर हिन्दी में लेख लिखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे। उनमें हिन्दी में लेखन के प्रति झिझक दूरी होगी और हिन्दी में लेखन के लिए आत्मविश्वास कायम होगा। रा.बा.बो. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति सकारात्मक सोच और हिन्दी में लेखन से उत्पन्न होने वाले आत्मविश्वास से रा.बा.बो. में भारत सरकार की राजभाषा नीति और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित होगी।

रा.बा.बो. में हिन्दी पत्रिका के प्रकाशन को प्रारंभ करने का श्रेय माननीय प्रबंध निदेशक एवं इस पत्रिका के प्रधान संपादक श्री बिजय कुमार जी को जाता है जिनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से एक स्तरीय पत्रिका का प्रकाशन संभव हो पाया। इस पत्रिका के कार्यकारी संपादक श्री सुनील भुटानी प्रशंसा तथा बधाई के पात्र हैं जिन्होंने रा.बा.बो. के लिए हिंदी पत्रिका के प्रकाशन की संकल्पना को मूर्त रूप दिया है। मैं, इस पत्रिका के परामर्श मंडल के सभी वरिष्ठ सदस्यों और हिन्दी अनुभाग से सहयोग प्रदान करने वाले सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने एक स्तरीय पत्रिका के प्रकाशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

एन.सी. मिस्त्री

(एन.सी. मिस्त्री)




धीरपाल सिंह
आंचलिक निदेशक एवं राजभाषा प्रभारी



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL
HORTICULTURE BOARD

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार




राजभाषा प्रभारी की कलम से

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) देश के प्रगतिशील बागवानी किसानों के उत्थान के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। रा.बा.बो. और किसानों के बीच परस्पर संवाद की प्रमुख भाषा हिन्दी है। रा.बा.बो. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में लेखन के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने और रा.बा.बो. की योजनाओं एवं गतिविधियों तथा बागवानी क्षेत्र की जानकारी हिन्दी में उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से इस पत्रिका "बागवानी दर्पण" का प्रकाशन प्रारंभ किया जा रहा है।

इस पत्रिका के उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए माननीय प्रबंध निदेशक एवं प्रधान संपादक, अपर प्रबंध निदेशक एवं संपादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं कार्यकारी संपादक, परामर्श मंडल के सभी वरिष्ठ सदस्यगण बधाई के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू होने से रा.बा.बो. के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपना कार्यालयी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे और इस पत्रिका के लिए उपयोगी प्रकाशन सामग्री उपलब्ध करवाते रहेंगे।

धीरपाल सिंह

(धीरपाल सिंह)




सुनील भुटानी

वरिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं सदस्य सचिव,
राजभाषा कार्यान्वयन समिति



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL
HORTICULTURE BOARD



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

कार्यकारी संपादक की कलम से


राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) बागवानी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी देश-विदेश में एक विशेष पहचान है। यह बोर्ड देश के प्रगतिशील बागवानी किसानों के उत्थान के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। रा.बा.बो. और किसानों के बीच परस्पर संवाद की प्रमुख भाषा हिन्दी है। रा.बा.बो. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में लेखन के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने और रा.बा.बो. की योजनाओं एवं गतिविधियों तथा बागवानी क्षेत्र की जानकारी हिन्दी में उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से इस पत्रिका “बागवानी दर्पण” का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है।

इस पत्रिका के प्रकाशन का श्रेय माननीय प्रबंध निदेशक एवं इस पत्रिका के प्रधान संपादक श्री बिजय कुमार जी को जाता है जिनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन के फलस्वरूप इस पत्रिका का प्रवेशांक आपके हाथों में है। उन्होंने इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए एक स्तरीय पत्रिका के प्रकाशन के लिए शुभकामनाएँ दीं। इस पत्रिका में रा.बा.बो. के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्यों के ज्ञानप्रद लेख, रिपोर्ट, कहानी, कविता, संस्मरण आदि प्रकाशित किए जाएंगे। इस पत्रिका में बागवानी से संबंधित उपयोगी लेख और समाचार भी प्रकाशित किए जाएंगे। चूंकि यह पत्रिका का प्रवेशांक है, इसलिए इसमें रा.बा.बो. की विकास यात्रा और रा.बा.बो. की योजनाओं से संबंधित जानकारी विशेष रूप से दी गई है।

रा.बा.बो. देश के प्रगतिशील बागवानी किसानों के लिए अनेक प्रकाशन प्रकाशित कर रहा है जिनमें मासिक बागवानी सूचना सेवा एवं वार्षिक बागवानी डाटाबेस का नियमित प्रकाशन प्रमुख हैं। इस पत्रिका के प्रकाशन से रा.बा.बो. के अधिकारी एवं कर्मचारी बागवानी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर हिन्दी में लेख लिखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे। उनमें हिन्दी में लेखन के प्रति झिझक दूरी होगी और हिन्दी में लेखन के लिए आत्मविश्वास कायम होगा। रा.बा.बो. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति सकारात्मक सोच और हिन्दी में लेखन से उत्पन्न होने वाले आत्मविश्वास से रा.बा.बो. में भारत सरकार की राजभाषा नीति और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित होगी।

मैं, इस पत्रिका के प्रधान संपादक श्री बिजय कुमार जी और संपादक श्री एन.सी. मिस्त्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ जिनके कुशल नेतृत्व और विशिष्ट मार्गदर्शन में इस पत्रिका का प्रवेशांक तैयार किया गया है। परामर्श मंडल के वरिष्ठ सदस्यों डॉ. आर.के. शर्मा जी, श्री पी.के. सिंह जी, श्री ब्रजेन्द्र सिंह जी, श्री एस.सी. जैन जी और श्री धीर पाल सिंह जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिनके परामर्श से पत्रिका को आकर्षक रूप में तैयार किया गया है।

(सुनील भुटानी)



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की विकास यात्रा



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) भारत में बागवानी के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित एक स्वायत्त संस्था है। योजना आयोग, भारत सरकार में तत्कालीन सदस्य (कृषि) एवं सुप्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित "विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह (Group on Perishable Agricultural Commodities)" की सिफारिशों के आधार पर सन् 1984 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। यह सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है।

राष्ट्रीय स्तर की इस महत्वपूर्ण संस्था के प्रमुख उद्देश्यों में देश में बागवानी उद्योग को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना; बागवानी उद्योग की विविध गतिविधियों में तेजी लाना और उन्हें सहयोग प्रदान करना; किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने में योगदान देना; बागवानी उद्योग के विकास के लिए उत्पादकों एवं किसानों की समितियाँ बनाए जाने एवं उनके अनुरक्षण के लिए सहायता प्रदान करना; बागवानी उद्योग से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त केंद्रीय एवं राज्य स्तर के विभिन्न विभागों एवं संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना; फसल कटाई-उपरांत प्रबंधन प्रौद्योगिकी और आसूचना तथा सूचना प्रणाली के विकास के लिए बुनियादी ढाँचा तैयार करने में सहयोग प्रदान करना; बागवानी उद्योग के विकास और प्रगति के लिए बागवानी विकास कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना; बागवानी विकास कार्यक्रमों में छोटे और मझोले किसानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना; उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों को लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए जरूरी उपाय करना; बागवानी के विकास में संलिप्त

व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित करना; तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान और वित्तीय सहायता के प्रयोजन के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों एवं संगठनों से सहयोग करना; मार्केटिंग, प्रसंस्करण संयंत्रों, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन प्रणाली आदि की साध्यता रिपोर्ट तैयार करना; बागवानी प्रौद्योगिकी की उन्नत पद्धतियों का प्रचार-प्रसार करना; बागवानी उद्योग के विकास के लिए जब जरूरी हो तब उपकरणों एवं विशेषज्ञता का आयात करना शामिल हैं।

बागवानी क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर की एकमात्र संस्था राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने अपनी सुदीर्घ यात्रा के दौरान अनेक मुकाम हासिल किए हैं। आइए, इस संस्था के आरंभकाल से आज तक की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं:

- सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने और छोटे तथा मझोले किसानों की सहायता के लिए वर्ष 1985-86 में "मिनीकिट्स के वितरण के माध्यम से सब्जियों की खेती को बढ़ावा" नाम से एक परियोजना प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना के तहत किसानों को एक मिनीकिट में सब्जियों की उन्नत किस्मों के बीज और उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाई जाती थी।
- देश में गुणवत्तायुक्त पौधरोपण सामग्री की कमी की वजह से फलों के उत्पादन में गिरावट को रोकने के लिए रा.बा. बो. ने 1986-87 के दौरान "फलों के वृक्षों की गुणवत्तायुक्त पौधरोपण सामग्री के उत्पादन एवं आपूर्ति" परियोजना शुरू की थी।
- किसानों को बागवानी उत्पादों की आवक, मॉग तथा उनके थोक मूल्य के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 1987-88 में रा.बा.बो. ने देश भर में बाजार सूचना केन्द्रों और फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन-सह-बाजार



सूचना इकाईयों की स्थापना की गई थी। इन केन्द्रों के माध्यम से देश के प्रमुख थोक बाजारों से वाणिज्यिक महत्व के महत्वपूर्ण फलों एवं सब्जियों की कीमतों और उनकी आवक से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते थे और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित किए जाते हैं।

- सब्जियों की फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसानों को कम करने के उपायों पर विचार करने के लिए मार्च, 1989 में "सब्जियों का उत्पादन एवं फसल कटाई उपरांत प्रबन्धन" विषय पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी का उद्घाटन तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री एवं बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया गया था।
- बागवानी फसलों के कटाई उपरांत होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए रा.बा.बो. ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ मिलकर वर्ष 1988-89 में एक परियोजना शुरू की गई थी। इस राष्ट्रीय परियोजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसानों की समितियों/संगठनों को सब्सिडी के रूप में 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी।
- रा.बा.बो. ने देश के लोगों के लिए पौष्टिक फलों का जूस और फलों से बनने वाले पेयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1988-89 में एक परियोजना प्रारंभ की थी। इस परियोजना के तहत जूस की मशीनों की खरीद के लिए विपणन एवं प्रसंस्करण में संलिप्त कृषि-बागवानी निगमों/समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी।
- उपभोक्ता मूल्य में उत्पादकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, रा.बा.बो. ने वर्ष 1988-89 में "बागवानी फसलों के फसल-कटाई उपरांत अवसंरचना के प्रबंधन पर समेकित परियोजना" लागू की थी। इस परियोजना के अंतर्गत ग्रेडिंग/पैकिंग सुविधाओं, शीत श्रृंखला, प्री-कूलिंग इकाईयों एवं शीत भंडारों और उत्पादकों के उत्पाद को

खुदरा बाजार में सही तरीके से पहुंचाने के लिए प्लॉस्टिक क्रेटों एवं परिवहन सुविधा के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती थी।

- "फलों के उत्पादन एवं फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन" विषय पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी 6-7 मई 1990 को बेंगलूर में आयोजित की गई थी। इस गोष्ठी का उद्घाटन कर्नाटक सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था।
- रा.बा.बो. ने वर्ष 1993-94 में "उदार ऋण में भागीदारी के माध्यम से बागवानी उत्पाद के विपणन का विकास (Development of Marketing of Horticultural Produce Through Participation in Soft Loan)" योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत, देश में बागवानी उद्योग के विकास में लगे संगठनों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर उदार ऋण उपलब्ध करवाए जाते थे।
- रा.बा.बो. ने समाज के गरीब तबकों विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में फलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्ष 1990-91 में "ग्रामीण क्षेत्रों में पौषणिक उद्यानों की स्थापना (Establishment of Nutritional Garden in Rural Areas)" योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को उनके घरों, टयूबवैलों आदि के नजदीक पौधरोपण के लिए फलों के 10 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते थे।
- रा.बा.बो. ने 1-2 जून 1995 को मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए "मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला" का आयोजन किया था। इसके अलावा, 5-10 अक्टूबर 1995 को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और 9-10 मार्च 1966 को राष्ट्रीय शहद उत्सव आयोजित किया गया था।
- रा.बा.बो. ने एपीडा के साथ मिलकर वर्ष 1995 में सिंगापुर और मलेशिया में आम के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसके अलावा, रा.बा.बो. ने 1995 में ही नैफेड तथा एपीडा के साथ मिलकर दुबई में भी आम



बागवानी दर्पण, प्रवेशांक

के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप सिंगापुर, मलेशिया और दुबई में भारतीय आमों की माँग बढ़ी थी।

- रा.बा.बो. ने नवम्बर, 1995 में फलों एवं सब्जियों के व्यापारियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें 13 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- रा.बा.बो. ने नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लोरा एक्सपो में भाग लिया और सर्वश्रेष्ठ पवेलियन का पुरस्कार प्राप्त किया।
- रा.बा.बो. ने 24–25 फरवरी 2009 को नई दिल्ली में “शीत श्रृंखला के लिए हरित अवसंरचना का विकास” विषय पर दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला का उद्घाटन (तत्कालीन) केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता सचिव ने किया था।
- रा.बा.बो. के प्रतिनिधिमंडल ने 2–8 अप्रैल 2008 के दौरान इजराइल का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान बागवानी के विकास के लिए इजराइल में अपनाई जा रही प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।
- रा.बा.बो. ने चीन में दिनांक 9–12 अप्रैल 2008 के दौरान आयोजित 10वें हार्टि एक्सपो में भाग लिया था। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में रा.बा.बो. ने अपने स्टॉल के माध्यम से देश के बागवानी उत्पादों से अंतर्राष्ट्रीय जगत को परिचित करवाया था।
- कोरिया में 17 जुलाई से 15 अगस्त 2008 तक बागवानी उत्पादों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में रा.बा.बो. के अधिकारियों में भाग लिया था।
- भारत-इजराइल कार्य योजना के तहत 10–24 मार्च 2009 के दौरान इजराइल में बागवानी उत्पादों की खेती और उनके कटाई उपरांत प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में रा.बा.बो. द्वारा भाग लिया गया था।
- रा.बा.बो. की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय हार्टि फेअर ‘संगम’ नामक श्रृंखला प्रारंभ की

गई। इस श्रृंखला का पहला कार्यक्रम 22–24 मई 2009 को नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के प्रगतिशील किसानों द्वारा अपने-अपने बागवानी उत्पाद प्रदर्शित और बिक्री किए गए। यह कार्यक्रम अपनी तरह का एक अनूठा कार्यक्रम था जिसमें दिल्ली एवं एनसीआर के हजारों लोगों ने भाग लिया था। इसी क्रम में, 29 अगस्त से 1 सितम्बर 2009 तक कोच्चि, एरणाकूलम (केरल); 9–12 अक्टूबर 2009 तथा 2–5 जनवरी 2010 तक बेंगलूरु (कर्नाटक) और 12–15 मार्च 2010 तक नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में भी अंतर्राष्ट्रीय हार्टि फेअर ‘संगम’ आयोजित किए गए।

- रा.बा.बो. ने भारत-इजराइल सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक कृषि यंत्रों का आयात किया और किसानों के समक्ष इनका प्रदर्शन किया गया।
- रा.बा.बो. ने देश में उच्च उत्पादन क्षमता एवं बेहतर किस्म की खुबानी के उत्पादन के लिए अरमेनिया गणराज्य से 1000 पौधों का आयात किया जिन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों को दिया गया।
- भारत सरकार ने रा.बा.बो. के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक टेक्निकल स्टैंडर्ड कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने में प्रौद्योगिकी के अपग्रेडेशन के लिए भारत में शीत श्रृंखला के लिए तकनीकी मानकों और प्रोटोकॉल एवं कोल्ड स्टोरेज के लिए मानक लागत और सहायिकी को अंतिम रूप दे दिया है।
- वर्ष 2009 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किसानों को सेब के बगीचों में कटाई-छंटाई, पैकेजिंग और खुदरा बाजारों के माध्यम से विपणन का प्रशिक्षण दिया गया।
- नवम्बर, 2009 में “भारत में शीत श्रृंखला के लिए तकनीकी मानक और प्रोटोकॉल कार्यान्वयन” विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं पर एक नज़र

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) भारत में बागवानी के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित एक स्वायत्त संस्था है। योजना आयोग, भारत सरकार में तत्कालीन सदस्य (कृषि) एवं सुप्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित "विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह (Group on Perishable Agricultural Commodities)" की सिफारिशों के आधार पर सन् 1984 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। यह सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है।

देश के बागवानी क्षेत्र को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊँचाईयों पर पहुँचाने की संकल्पना को पूरा करने की दिशा में अग्रसर रा.बा.बो. की सब्सिडी योजनाओं का संक्षिप्त ब्योरा आपके समक्ष प्रस्तुत है:-

● उत्पादन एवं फसल कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से व्यावसायिक बागवानी का विकास

इस योजना के अंतर्गत उच्च-स्तरीय तकनीकों का इस्तेमाल करके बागवानी फसलों का व्यावसायिक उत्पादन करने वाले संगठनों/प्रमोटरों की बागवानी परियोजनाओं के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी खुले क्षेत्र में खेती के मामले में 4 हैक्टेयर और कवर किए गए क्षेत्र में खेती के मामले में 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाती है। ऐसी परियोजनाओं में अधिक पूँजी निवेश करना होता है और ये परियोजनाएं लम्बे समय में पूरी होती हैं, इसलिए रा.बा.बो. द्वारा ऐसी परियोजनाओं को ही सब्सिडी प्रदान की जाती है जिन परियोजनाओं के लिए बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जाता है। ऐसी किसी भी परियोजना के लिए स्वीकृति-योग्य सब्सिडी का 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से ऋण के रूप में होना चाहिए। रा.बा.बो. की इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रा.बा.बो. द्वारा बागवानी परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सब्सिडी ऋणदाता बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में संबंधित संगठन/प्रमोटर के ऋण खाते से इतर उनके एक अन्य रिज़र्व खाते में जमा करवाई

जाती है। सब्सिडी राशि को संबंधित संगठन/प्रमोटर की ऋण राशि से समायोजित किया जाता है। ऐसा समायोजन ऋण राशि की वापसी की आखिरी किस्तों से किया जाता है।

सामान्य क्षेत्रों में बागवानी परियोजनाओं के लिए कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा रु0 25 लाख प्रति परियोजना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं के लिए अधिकतम सीमा रु0 30 लाख प्रति परियोजना है।

कवर किए गए क्षेत्र और खुले क्षेत्र में अधिक पूँजी निवेश और उच्च दाम वाली फसलों जैसे खजूर, जैतून तथा केसर आदि की परियोजनाओं के लिए कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा रु0 50 लाख प्रति परियोजना होती है। अनुसूचित और पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं के लिए 33 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 60 लाख प्रति परियोजना तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत प्राथमिक प्रसंस्करण एवं फसल कटाई उपरांत प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं के लिए भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऐसी किसी परियोजना के लिए स्वीकृति-योग्य सब्सिडी का 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से ऋण के रूप में होना चाहिए। ऐसी किसी परियोजना के लिए दी जाने वाली सब्सिडी भी ऋणदाता बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में संबंधित संगठन/प्रमोटर के ऋण खाते से इतर उनके एक अन्य रिज़र्व खाते में जमा करवाई जाती है। सब्सिडी राशि को संबंधित संगठन/प्रमोटर की ऋण राशि से समायोजित किया जाता है। ऐसा समायोजन ऋण राशि की वापसी की आखिरी किस्तों से किया जाता है।

सामान्य क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं के लिए कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा रु0 50 लाख प्रति परियोजना है। अनुसूचित और पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 60 लाख प्रति परियोजना तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।



- **बागवानी उत्पादों के लिए शीत भंडारों/भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूँजी निवेश सब्सिडी योजना**

इस योजना के अंतर्गत नियंत्रित वातावरण भंडारों (Controlled Atmosphere Stores) संशोधित वातावरण भंडारों (Modified Atmosphere Stores) प्री-कूलिंग यूनिटों, प्याज के लिए अन्य भंडारों आदि सहित शीत भंडारों के निर्माण एवं उनके आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाओं के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

ऐसी किसी परियोजना के लिए स्वीकृति-योग्य सब्सिडी का 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से ऋण के रूप में होना चाहिए। रा.बा.बो. की इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रा.बा.बो. द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सब्सिडी ऋणदाता बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में संबंधित संगठन/प्रमोटर के ऋण खाते से इतर उनके एक अन्य रिजर्व खाते में जमा करवाई जाती है। सब्सिडी राशि को संबंधित संगठन/प्रमोटर की ऋण राशि से समायोजित किया जाता है। ऐसा समायोजन ऋण राशि के वापसी की आखिरी किस्तों से किया जाता है।

सामान्य क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं के लिए कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत की दर से और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं के लिए कुल परियोजना लागत के 55 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी अधिकतम 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाती है।

- **बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास एवं हस्तांतरण**

इस योजना के अंतर्गत, भारतीय किसानों को देश-विदेश में बागवानी क्षेत्र के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकियों से परिचित करवाया जाता है। किसानों को नई प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी देने के लिए रा.बा.बो. द्वारा अपने स्तर पर और अन्य संगठनों के सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन करती है। प्रौद्योगिकी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किसी राज्य के कृषि/बागवानी विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों, राज्यों के कृषि/बागवानी विभागों, सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। ऐसे किसी संगठन द्वारा प्रौद्योगिकी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने संबंधी परियोजना के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है। ऐसे अनुदान की अधिकतम सीमा ₹0 10 लाख से ₹0 25 लाख प्रति परियोजना होती है।

रा.बा.बो. देश के प्रगतिशील किसानों के लिए फसल विशेष, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन (पीएचएम), प्रसंस्करण एवं विपणन संबंधी विषयों पर आई.सी.ए.आर. संस्थानों, राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और मनेज (MANAGE) एन.आई.आर.डी., एच.टी.सी., टेरी (TERI) जैसे अन्य प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से नई एवं प्रासंगिक प्रौद्योगिकी का किसानों के समक्ष फील्ड में प्रदर्शन किया जाता है। किसानों को देश में बागवानी उत्पादन एवं पी.एच.एम. प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित प्रदर्शिनियों का दौरा करवाया जाता है और उन्हें अपने उत्पाद/उपकरण प्रदर्शित करने के लिए रा.बा.बो. द्वारा स्टॉल निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। किसानों को विशिष्ट थोक बाजारों, आधुनिक नीलामी केन्द्रों, प्रसंस्करण यूनिटों, भंडारों, पी.एच.एम. अवसंरचनाओं आदि का दौरा करवाया जाता है।

रा.बा.बो. अपनी संवर्धनात्मक एवं विस्तार गतिविधियों के अंतर्गत किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों, उत्पादों की पैकिंग और पी.एच.एम. पद्धतियों से परिचित करवाने के लिए देश के उपयुक्त स्थानों/क्षेत्रों में प्रदर्शिनियों का आयोजन करता है। इसके साथ ही, फलों, सब्जियों, फूलों, सुगन्धित पौधों आदि की उन्नत एवं अधिक उपज देने वाली किस्मों की प्रदर्शिनियां भी आयोजित की जाती हैं। रा.बा.बो. देश के किसानों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास एवं हस्तांतरण की योजना और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर देश-विदेश के प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों की सेवाएँ भी ली जाती हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाने वाले सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रदर्शिनियों आदि के लिए रा.बा.बो. द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रगतिशील किसानों के लिए आयोजित की जाने वाली उद्यान पंडित प्रतियोगिताओं के लिए भी रा.बा.बो. द्वारा



वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विदेशों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों और भारतीय बागवानी उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और भारतीय बागवानी उत्पादों को विदेशों में बढ़ावा देने के लिए रा.बा.बो. के अधिकारियों द्वारा विदेशों में समय-समय पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया जाता है।

देश में बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों एवं अन्य लाभार्थियों को जागरूक बनाने के लिए रा.बा.बो. द्वारा समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो एवं टी.वी. आदि पर ज्ञानप्रद विज्ञापन दिए जाते हैं। इसके अलावा, रा.बा.बो. द्वारा मासिक बुलेटिन, वार्षिक डाटा संघ्य एवं पुस्तकों आदि का प्रकाशन भी किया जाता है।

रा.बा.बो. ने देश में व्यावसायिक बागवानी करने वाले संगठनों/प्रमोटर्स के लिए गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बागवानी नर्सरियों के प्रत्यायन (Accreditation) एवं रेटिंग की एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, रा.बा.बो. द्वारा बागवानी नर्सरियों के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर बागवानी नर्सरियों की पौध सामग्रियों की गहन जाँच की जाती है और बागवानी नर्सरियों को एक स्टार से पाँच स्टार के बीच श्रेणीबद्ध किया जाता है।

रा.बा.बो. व्यावसायिक बागवानी करने वाले संगठनों/प्रमोटर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से बागवानी नर्सरियों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मूल ब्लॉक (Mother Block) और उच्च वंशानुगत (higher dedegree) वाले प्रकन्दन (Root Stock) एवं कलम (Scion)/बुड स्टिक (Bud Stick) के लिए बैंक स्थापित करने वाले संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विपणन और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित चिह्नित औद्योगिक क्षेत्रों अथवा चिह्नित उत्पादन समूह में बागवानी पार्क (Horticulture Park)/एग्रि-एक्सपो ज़ोन (Agri-Expo Zones) स्थापित करने वाले संगठनों/प्रमोटर्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

● बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा


इस योजना के अंतर्गत, देश में प्रमुख रूप से उपभोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण फलों, सब्जियों तथा फूलों आदि की देशभर में स्थित प्रमुख मंडियों में इन उत्पादों की आवक, उनके थोक मूल्य तथा इन उत्पादों के रुझान संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण कर बाजार आसूचना रिपोर्ट (Market Intelligence Reports) तैयार की जाती है। ऐसे आंकड़ों को प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश के किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं जिनके आधार पर किसान अपनी कृषि उत्पादन एवं विपणन रणनीति तैयार कर लाभ अर्जित करते हैं।

● बागवानी संवर्धन सेवा

इस योजना के अंतर्गत, रा.बा.बो. द्वारा देश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट अध्ययन एवं सर्वेक्षण करवाए जाते हैं और ऐसे अध्ययनों एवं सर्वेक्षणों की रिपोर्ट प्रासंगिक लाभार्थियों को उपलब्ध करवाई जाती है। रा.बा.बो. द्वारा अपनी ओर से तथा आउटसोर्स किए जाने वाले विशेषज्ञों की सहायता से तकनीकी प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, रा.बा.बो. द्वारा सलाह एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। रा.बा.बो. के लिए विशिष्ट अध्ययन एवं सर्वेक्षण कार्य करने वाले संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बागवानी फसलों के कटाई उपरांत प्रबंधन और शीत श्रृंखला अवसंरचना प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने और फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन तथा बागवानी उत्पादों के भंडारण संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यों का निष्पादन करने के लिए रा.बा.बो. द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी से राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केन्द्र (National Cold Chain Development Centre) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस केन्द्र की स्थापना के लिए ₹ 25 करोड़ का एकमुश्त अनुदान अलग से चिह्नित किया गया है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की उपर्युक्त महत्वपूर्ण योजनाओं एवं इनकी उत्कृष्ट गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी रा.बा.बो. की वेबसाइट <http://www.nhb.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।



फलों के 'राजा' आम और 'रानी' लीची के बागों में मासिक कार्यक्रम

आम



मई – नये बाग लगाने हेतु 10*10 मीटर (सामान्य घनत्व) या 8*8 मीटरा (मध्यम घनत्व) या 2.5*2.5 मीटर (उच्च घनत्व) की दूरी पर गड्ढों की खुदाई करें। नर्सरी में बीजू पौधों तथा बाग की सिंचाई एवं खरपतवार निकालना। फलों का चिड़ियों से बचाव। अगेती किरमों के फलों की तुड़ाई तथा विपणन।

जून – बाग में एक बार सिंचाई, चिड़ियों से फसल का बचाव। मध्य मौसम की फसल के फलों की तुड़ाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग एवं विपणन। नये बाग लगाने हेतु खोदे गए गड्ढों में खाद उर्वरक, नीम की खली व मिट्टी की समान मात्रा के साथ भरने का कार्य। नर्सरी में कलमी पौधा बनाने के लिए ग्रापिटिंग का कार्य।

जुलाई – पिछले माह खोदे गये गड्ढों में ये पौधों का रोपण। पछेती प्रजातियों के फलों की तुड़ाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग व विपणन का कार्य। नये पौधों में पत्ती काटने वाले कीट की रोकथाम हेतु फालीडाल डस्ट के नियंत्रण हेतु ब्लाइटाक्स 0.3 प्रतिशत का छिड़काव।

अगस्त – नये बागों हेतु पौधरोपण कार्य। आम की गुठलियों का एकत्रीकरण एवं उन्हें नर्सरी में बोना। नर्सरी में बीजू पौधों पर ग्रापिटिंग का कार्य। शल्क कीट तथा शाखा गांठ कीट नियंत्रण हेतु डायजिनान (2 मिली./लीटर) यार मिथाइल पैराथियान (एक मिली./लीटर) या डायमिथोएट (1.5 मिली./लीटर पानी) में से किसी एक का 15 दिन के अंतर पर छिड़काव। रेड रस्ट एवं सूटी मोल्ट रोग से बचाव हेतु ब्लाइटाक्स (3 ग्राम/लीटर पानी में) का छिड़काव।

सितम्बर – नये बाग हेतु रोपण का कार्य। पुराने बाग की जुताई, निराई, गुड़ाई। शाखा गांठ कीट की रोकथाम पिछले माह की भांति करें। गमोसिस रोग के नियंत्रण हेतु भूमि में

खाद की तरह कापर सल्फेट 250 ग्राम + जिंक सल्फेट 250 ग्राम+बोरेक्स 125 ग्राम+बुझा चूना 100 ग्राम (10 वर्ष या अधिक आयु के पौधे हेतु) मिलावें। एन्थेकनोज रोग के नियंत्रण हेतु ब्लाइटाक्स 0.3 प्रतिशत का छिड़काव। गुठलियों का एकत्रीकरण एवं नर्सरी में बुआई। उर्वरकों की दूसरी खुराक (अप्रैल में दी गई मात्रा के बराबर) को जड़ों के पास मिट्टी में मिलाना।

अक्टूबर – बाग में जुताई-गुड़ाई परन्तु सिंचाई रोक दें। गुम्मा रोग के नियंत्रण हेतु एन.ए.ए. 200 पी.पी.एम. (फ्लेनोफिक्स 4 मिली. प्रति 9 लीटर पानी में) का छिड़काव। नर्सरी में बंचीटाप के नियंत्रण हेतु टहनियों की छंटाई। यदि पिछले माह में न दी गई हो तो उर्वरकों की दूसरी खुराक इस माह अवश्य दे दें।

नवम्बर – मिलीबग कीट के नियंत्रण हेतु तने और थाले के आस-पास फाली डाल धूल का बुरकाव तथा तने के चारों ओर एल्काथीन की पट्टी लगाना।

दिसम्बर – मिलीबग कीट का नियंत्रण पिछले माह की भांति। छोटे पौधों का पाले से बचाव हेतु सिंचाई, धुआं करना तथा छप्पर का प्रयोग।

लीची



जनवरी- बाग की सिंचाई तथा तना छेदक कीट के नियंत्रण हेतु रुई को पेट्रोल या डाईक्लोरोवास में भिगोकर छेदों में भरकर गीली मिट्टी से बन्द करना।

फरवरी – फलदार वृक्षों में उर्वरकों का प्रयोग (अप्रैल माह में संस्तुत दर के बराबर मात्रा) कर थालों की गुड़ाई कर दें। फल आने के पूर्व फलों के डंठलों के नीचे पाये जाने वाले सूंडी के विरुद्ध मोनोक्रोटोफास (1.25 मिली./ली. पानी) का छिड़काव करें।



मार्च – आवश्यकतानुसार सिंचाई क्योंकि यह फूल आने का समय है।

अप्रैल – बाग की 15 दिन के अन्तराल पर सिंचाई। थालों की सफाई, फ्रूट बोअर की रोकथाम हेतु डाइक्लोरोवास 0.05 प्रतिशत (आधा मिली./ली.) या मोनोक्रोटोफास 1 मिली./ली. में किसी एक का फल बनने के पश्चात् एक माह के अन्तराल पर पर्णाय छिड़काव।

मई – फलों के फटने से बचाने हेतु भूमि में सिंचाई द्वारा पर्याप्त नमी बनाये रखें। नये बाग लगाने हेतु रेखांकन तथा 10*10 मीटर (सामान्य घनत्व) या 7.5*7.5 मीटर (उच्च घनत्व) की दूरी पर गड्ढों की खुदाई।

जून – फलों की तुड़ाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग एवं विपणन। गड्ढों की भराई। नर्सरी में गूटी बांधने का कार्य।

जुलाई – नये पौधों का रोपण। नर्सरी में गूटी बांधने का कार्य।

अगस्त – रेड रस्ट एवं सूटी मोल्ड रोग का नियंत्रण। लीची लीफ माइनर, लीफरोलर तथा छाल खाने वाली गिडार के नियंत्रण हेतु 0.1 प्रतिशत मेटासिस्टाक्स अथवा 0.03 प्रतिशत डायजिनान का छिड़काव।

सितम्बर – तथा छेदक कीट का नियंत्रण।

अक्टूबर – लीफ माइनर, लीफ रोलर तथा छाल खाने वाले गिडार के नियंत्रण हेतु कीट नाशकों का छिड़काव।

– धीरपाल सिंह
आंचलिक निदेशक एवं राजभाषा प्रभारी



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सेब की सफल बागवानी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) की स्थापना, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को सरल बनाने के लिए व्यापक आधार वाली, उद्यमी द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं तैयार की हैं जिन्होंने बागवानी के विकास में "स्वर्णिम क्रांति का शुभारम्भ किया है।

वर्तमान में, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध निदेशक श्री बिजय कुमार, आई.ए.एस. हैं। जोकि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सफलता के शिखर पर ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत् हैं।

उत्तर-पूर्व प्रदेशों में, वर्तमान समय में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, बागवानी के बहुआयामी विकास हेतु सक्रिय भूमिका अदा कर रहा हैं। प्रस्तुत लेख में, अरुणाचल प्रदेश में सेब की सफल बागवानी से संबंधित प्रयास, जोकि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किए गये हैं, की चर्चा की गई हैं।



(सेब की भरपूर पैदावार)

उत्तर-पूर्व में अरुणाचल प्रदेश 21.5 डिग्री-29.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 85.5 डिग्री-97.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह राज्य उच्च वर्षा वाले मण्डल में आता है। जलवायु उपोष्ण से शीतोष्ण तक होती है। इन क्षेत्रों में स्वाभावतया जटिल भूमि-प्रदेश पाये जाते हैं। कर्षण पद्धतियों, ढालों, स्थानों की ऊँचाई,



बागवानी दर्पण, प्रवेशांक

भू-उपयोग पद्धतियों में भी अधिक अंतर देखने को मिलता हैं।

जलवायु में पर्याप्त विविधता (शीतोष्ण जलवायु) के कारण अरुणाचल प्रदेश में सेब की बागवानी मुख्य रूप से होती है। अरुणाचल प्रदेश में सेब की लोकप्रिय किस्में रेड डेलीशियस, गोल्डन डेलीशियस, जोनाथन, रेड गोल्ड एवं फोकला है, जिनकी बागवानी मुख्य रूप से पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग, बोमडिला, शेरगाँव, मेचुरा उपसंभाग एवं तवांग जिले में होती हैं। लेकिन देश के कुल सेब उत्पादन में अरुणाचल प्रदेश केवल 1 प्रतिशत की भागीदारी दर्शाता हैं, जबकि अन्य उत्पादक राज्य जम्मू-कश्मीर (58 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (29 प्रतिशत) एवं उत्तराखण्ड (12 प्रतिशत) है।

अरुणाचल प्रदेश में सेब की खेती के अर्न्तगत क्षेत्रफल 10758 हैक्टेयर तथा उत्पादन 9790 मीट्रिक टन हैं जो कि दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हैं लेकिन अभी भी हमें राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए इस दिशा में समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता हैं।



(अरुणाचल में सेब के बढ़ते उद्यान)

राष्ट्रीय स्तर पर सेब की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं, परन्तु इस दिशा में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश में सेब की सफल बागवानी के लिए कई सराहनीय कदम उठाये हैं, जो निम्न प्रकार से है :-

- **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना "उत्पादन और फसल-काई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से व्यवसायिक बागवानी का विकास"।**

यह योजना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं, अन्य उत्तर-पूर्व प्रदेशों में भी लोकप्रिय होती जा रही हैं जिसकी मदद से किसानों ने कई एकड़ भूमि पर बागवानी का विकास किया हैं इसका ज्वलंत उदाहरण अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले का दिरांग एवं तवांग जिला है जहाँ पर कई एकड़ भूमि पर किसानों ने सेब के बागान स्थापित किये हैं जिससे किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठने के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्या भी कुछ हद तक कम हुई हैं।



(रा.बा.बो. द्वारा दिरांग में विकसित सेब के उद्यान)

अरुणाचल प्रदेश में सेब की सफल बागवानी को दृष्टिगत रखते हुये, विगत वर्षों (2006-2010) में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुवाहाटी द्वारा सेब की 76 परियोजनाओं द्वारा लगभग 387 एकड़ भूमि पर सेब का विकास कराया गया, जिसके लिए 100.85 लाख रुपये की सहायिकी जारी की गई।

- **सेब की उचित पैकेजिंग, तुड़ाई एवं ग्रेडिंग पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम।**

जहाँ एक ओर अरुणाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हैं वही दूसरी ओर सेब उत्पादकों के लिए सेब की उचित पैकेजिंग, तुड़ाई एवं ग्रेडिंग का सही निर्धारण करना एक समस्या हैं। उत्तर-पूर्व प्रदेशों विशेष तौर पर अरुणाचल प्रदेश से सेब के विपणन एवं निर्यात सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुवाहाटी के



तत्वाधान में अरुणाचल प्रदेश के शेरगाँव (सेब उत्पादक क्षेत्र) में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम (23-09-2009 से 24-09-2009) का आयोजन किया गया, इसका सफल आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र, दिरांग द्वारा किया गया, इसमें लगभग 50 किसानों (सेब उत्पादकों) ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश से आये उद्यान विशेषज्ञों ने सेब उत्पादकों को सेब की उचित पैकिंग, तुड़ाई की सही अवस्था एवं विधि तथा उत्तम ग्रेडिंग की विधियों की विस्तार से जानकारी दी एवं विधियों को किसानों के समक्ष प्रदर्शित भी किया। सेब की उचित पैकिंग के लिए "कोरुगेटेड फाइबर बाक्स" को प्रदर्शित किया गया।



(जरूरी है सेब की उचित पैकिंग)

इसी अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र, दिरांग द्वारा विकसित "एपिल हार्वेस्टर" का प्रदर्शन किया गया, यह यंत्र ऊँचाई से सेब की तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। सेब को विपणन योग्य बनाने के लिए ग्रेडिंग काफी जरूरी है विशेषज्ञों ने ग्रेडिंग की विधियों को किसानों के समक्ष प्रस्तुत किया, कार्यक्रम के अन्त



(कृषि विज्ञान केन्द्र, दिरांग द्वारा विकसित एपिल हार्वेस्टर)

में विशेषज्ञों ने सेब की सफल बागवानी से संबंधित कई और उपाय बताये, जो कि निकट भविष्य में किसानों के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होंगे।

● बैंगलोर (लाल बाग) में "सेब महोत्सव" का आयोजन:

सेब को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने विगत वर्ष (2009) में, बैंगलोर के लाल बाग में एक बड़े सेब महोत्सव (09-10-2009 से 12-10-2010) का आयोजन किया, जिसमें उत्तर-पूर्व से लगभग 70 प्रगतिशील किसानों ने अपने उत्पाद सहित हिस्सा लिया। उत्तर-पूर्व से आये सेब उत्पादकों ने सेब महोत्सव में, देश के अन्य स्थानों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड) से आये सेब उत्पादकों से कई विषयों पर चर्चा की।



(बैंगलोर (लाल बाग) में सेब महोत्सव का आयोजन)

सेब महोत्सव में लगे स्टालों पर किसानों ने समूह बनाकर



(सेब महोत्सव में उत्तर-पूर्व से आये सेब उत्पादक)



बागवानी दर्पण, प्रवेशांक

भ्रमण किया एवं सेब उत्पादन से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ एवं अनुभव प्राप्त किये जो कि सेब की सफल बागवानी में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

● सेब की कटाई-छटाई पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:

प्रायः देखा गया है कि सेब के बागों में काट-छाट के अभाव में पेड़ों की शाखायें बढ़कर आपस में वृक्षो को छूने लगती हैं, फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश वृक्ष के पर्णाय भागों में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता जिसके अभाव में प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया क्षीण हो जाती है जिससे कल्ले पतले एवं अस्वस्थ हो जाते हैं एवं साथ ही कई रोग एवं कीटों का प्रकोप भी हो जाता है।



(कटाई एवं छटाई के अभाव में सेब के वृक्ष)

सेब की उचित कटाई एवं छटाई को दृष्टिगत रखते हुये, राष्ट्रीय बागवानी के तत्वाधान में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में किसानों के बागानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (15-12-2009 से 16-12-2009) का आयोजन किया



(नवजीवन के लिए काट-छाट)

गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र दिरांग द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 75 प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश से आये उद्यान विशेषज्ञों ने सेब की आदर्श पौधशाला, सेब के पौधों में सिचाई एवं काट-छाट एवं सेब के रोग एवं कीट : लक्षण एवं प्रबंधन आदि विषयों पर किसानों से विस्तार से चर्चा की।

विशेषज्ञों ने प्रयोगात्मक तरीके से सेब की कटाई-छटाई को स्वयं करके दिखाया एवं किसानों से भी कराया, जिससे किसानों में काफी उत्साह दिखाई पड़ा। विशेषज्ञों ने सेब के रोग एवं कीटों को नियंत्रित करने हेतु प्रबंधन पर विशेष जोर दिया और कुछ महत्वपूर्ण कीटों (सनजोस स्केल, रुट बोरट, थ्रिप्स आदि) तथा रोगों (फल सड़न, जड़ सड़न, पाउडरी मिल्ड्यू) के लक्षण एवं प्रबंधन के बारे में किसानों को विस्तार से बताया।

विशेषज्ञों ने कटाई-छटाई के उपरांत प्रयुक्त होने वाले वोर्डो पेस्ट के बनाने की विधि को किसानों के समक्ष प्रदर्शित किया एवं किसानों से भी बनवाया।




(फल सड़न से ग्रसित सेब का वृक्ष)

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगाव के वरिष्ठ उपनिदेशक एवं क्षेत्राधिकारी (उत्तर-पूर्व प्रदेश) डा0 आर0 के0 शर्मा द्वारा किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण मैनुअल, प्रूनिंग सा एवं सिकेटियर का वितरण किया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, बागवानी के विकास में एक अहम भूमिका निभा रहा है जिसमें निकट भविष्य में उत्तर-पूर्व प्रदेश फलों का निर्यातक सिद्ध हो सकता है।

— डॉ. शान्ता कुमार दुबे

बागवानी अधिकारी, रा.बा.बो., गुवाहाटी केन्द्र



शानदार एवं जानदार फल : सेब


हमारे भारत देश में हरदिल अजीज सेब का फलों में एक विशेष स्थान है। सेब को एक शानदार एवं जानदार फल माना जाता है। जब परिवार के सदस्यों की सेहत और तंदरुस्ती को बनाए रखने के लिए फलों का चुनाव किया जाता है तो सेब को सबसे ऊपर रखा जाता है। क्या आप अपने पसंदीदा फल सेब के गुणों, किस्मों तथा उत्पादन क्षेत्रों आदि के बारे में जानते हैं? शायद नहीं, तो आइए हमारी सेहत और तंदरुस्ती को बनाए रखने में सहायक इस फल के बारे में जानकारीयाँ प्राप्त करें :

- सामान्य तौर पर सेब का उत्पादन ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर सर्दियों में 1000 से 1600 घंटों तक सर्दी का मौसम बना रहे और तापमान 7 डिग्री सैलियस से कम रहता हो। जिन क्षेत्रों में सर्दियों में 30 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ जाती है वे क्षेत्र सेब के उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं।
- वैसे तो भारत में सेब की लगभग 200 किस्में हैं लेकिन सेब की बागवानी करने वाले व्यक्ति लगभग 15 से 20 किस्मों का ही व्यावसायिक दृष्टि से उत्पादन करते हैं। इन्हीं चुनिंदा किस्मों को हम सामान्य तौर पर देखते और खाते हैं। भारत में सेब की ज्यादातर पैदावार हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है।
- सेब में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी-6, विटामिन ई, पेंटोथेनिक एसिड, निएसिन और फोलिक एसिड होते हैं जोकि हमें तंदरुस्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
- यह माना जाता है कि सेब का उत्पादन एशिया से शुरू हुआ था और अब विश्व में सेब की लगभग 7500 किस्में हैं। शोधकर्ताओं का यह मानना है कि सेब का पेड़ सबसे प्राचीन पेड़ों में से एक है।

- चीन, अमेरिका, तुर्की, फ्रांस, इटली और ईरान विश्व में सेब के प्रमुख निर्यातक देश हैं।

विश्व की प्रसिद्ध सेब किस्मों का ब्योरा इस प्रकार है:-

1. टाइड मैन्स अरली वरसैस्टर (Tyde Man's Early Worcester)
2. स्टार किंग डिलिशियस (Star King Delicious)
3. स्काइ लाइन सुप्रीम डिलिशियस (Sky Line Supreme Delicious)
4. स्टार क्रिमसन डिलिशियस (Star Crimson Delicious)
5. रिच-ए-रैड (Rich-a-Red)
6. रैड डिलिशियस (Red Delicious)
7. रैड गोल्ड (Red Gold)
8. गेल्डन डिलिशियस (Golden Delicious)
9. ग्रैनी स्मिथ (Granny Smith)
10. रैड स्पार (Red Spur)
11. रैड चीफ (Red Chief)
12. हार्डी मैन (Hardy Man)
13. टॉप रैड (Top Red)
14. वांस डिलिशियस (Wanes Delicious)
15. मौलिस डिलिशियस (Mollies Delicious)
16. गोल्डन स्पार (Golden Spur)
17. वेल स्पार (Well Spur)
18. ब्राइट-एन-अर्ली (Bright 'N' Early)
19. सिल्वर स्पार (Silver Spur)
20. अन्ना (Anna)
21. समर क्वीन (Summer Queen)



बागवानी दर्पण, प्रवेशांक

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 22. गाला स्लैक्शन (Gala election) | 30. रॉयल गाला (Royal Gala) |
| 23. ग्लोस्टर (Glowster) | 31. रैड फ्री (Red Free) |
| 24. मैकइन्टोश (Macintosh) | 32. सताई गोल्ड (Satai Gold) |
| 25. ब्लैक बैन डेविस (Black Ban Davis) | 33. स्वीट रैड (Sweet Red) |
| 26. कमर्शियल (Commercial) | 34. स्कारलैट गाला (Scarlet Gala) |
| 27. लॉर्ड लैम्बोर्न (Lord Lamborn) | 35. रैड फूजी (Red Fuji) |
| 28. स्पार्टन (Spartan) | 36. मौलिश डिलिशियस (Moulish Delicious) |
| 29. क्रैब सेब (Crab Apple) | |

— सुनील भुटानी



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से सहायिकी प्राप्त मै० हितेषी हर्बोटैक प्रा.लि., जयपुर (राजस्थान) की परियोजना राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित



मै० हितेषी हर्बोटैक प्रा. लि., जयपुर के प्रबंध निदेशक श्री तुलसीदास भाटिया को एलोवेरा (ग्वारपाठा) और आंवला उत्पादों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उद्यमिता की विशेष श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 31 अगस्त 2010 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की उपस्थिति में केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम राज्य मंत्री श्री दिनशा जे. पटेल ने प्रदान किया।

इस कम्पनी के प्रबंध निदेशक श्री तुलसीदास भाटिया ने वर्ष 2001 से 2005 तक हर्बल मैडिसिनल प्लांटेशन पर लगातार काम किया हैं। उन्होंने राजस्थान में सबसे पहले 40 बीघा जमीन पर एलोवेरा (ग्वारपाठा) के प्लांटेशन की शुरुआत की थी जो अब 40,000 बीघा क्षेत्र में फैल चुका है। कम्पनी की यह पहली ऐसी इकाई है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने मै० हितेषी हर्बोटैक प्रा. लि., जयपुर की इस महत्वकांक्षी परियोजना को ₹0 15,61,400/- की सहायिकी प्रदान की है।

यह कम्पनी नई संकल्पना न्यूट्रास्युटिकल (आंतरिक

सुरक्षा) और कॉस्मास्युटिकल (बाहरी सुरक्षा) पर कार्य कर रही है। इसका मूल उद्देश्य 'उपचार से बेहतर बचाव' है। कम्पनी की यह परियोजना कृषि भूमि एवं किसानों को लाभान्वित कर रही है तथा स्वास्थ्य सुरक्षा द्वारा स्वस्थ समाज बनाने की ओर निरन्तर कार्यरत है। गौरतलब है कि एलोवेरा (ग्वारपाठा) स्वास्थ्य सुरक्षा में अमूल्य योगदान प्रदान करता है। कम्पनी की इस परियोजना ने लगभग 500 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया है।

कम्पनी के प्रबंध निदेशक श्री भाटिया ने पुरस्कार प्राप्त करते हुए कहा कि यह उनकी टीम के सामूहिक प्रयासों तथा पिछले 10 वर्षों से लगातार किए जा रहे प्रयासों एवं अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप उत्पादन और ग्राहकों की संतुष्टि का परिणाम है।

यह कम्पनी शीघ्र ही दुबई/हालैंड आदि देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करने जा रही है। इस कम्पनी की सहयोगी संस्थाओं में हॉलैंड की तकनीकी टीम, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, राजस्थान वैंचर केपिटल फंड और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का प्रमुख योगदान है।

सौजन्य: रा.बा.बो., जयपुर केन्द्र



नासिक वैली वाइन

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और नासिक वैली वाइन उत्पादक संघ (Nashik Valley Wine Producers Association), नासिक ने संयुक्त रूप से देश-विदेश में प्रसिद्ध "नासिक वैली वाइन" को वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम, 1999 [(Geographical Indication

of goods (Registration and Protection) Act, 1999, के अंतर्गत भारत सरकार के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (Geographical Indication Registry) में 4 अगस्त 2010 को भौगोलिक पंजीकरण सं. 123 के तहत पंजीकृत करवाया है।

इस प्रकार के पंजीकरण से नासिक (महाराष्ट्र) की देश-विदेश में प्रसिद्ध "नासिक वैली वाइन" के नाम का अनाधिकृत प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और इस उत्पाद के उत्पादकों के हित संरक्षित होंगे।

प्रारूप O-2
बौद्धिक सम्पदा भारत
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री
Geographical Indication Registry
वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम, 1999
Geographical Indication of goods (Registration and Protection) Act, 1999
पारा 15 (1) के अर्धीन भौगोलिक उपदर्शन अथवा पारा 17 (2) (b) (ii) के अर्धीन प्राधिकृत उपयोग के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
Certificate of Registration of Geographical Indication under section 16 (1) or of authorized user under section 17(2)(b)

भौगोलिक उपदर्शन संख्या:
Geographical Indication No.: 123
CERTIFICATE NO. 123

प्राधिकृत उपयोग संख्या
Authorized user No.:
दिनांक
Date: 22.04.2008

प्रमाणित किया जाता है कि भौगोलिक उपदर्शन (जिसकी सहायता इसके साथ स्याददा है) / प्राधिकृत उपयोग

के नाम से वर्ग में संख्या के अधीन दिनांक को

के तिर रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

Certified that the Geographical Indication (of which a representation is annexed hereto) / authorized user has been registered in the register in the name of (i) National Horticulture Board, No.85, Institutional Area, Sector- 18, Gurgaon- 122 015, Haryana, India, (ii) Nashik Valley Wine Producers Association, No.651, 'A' Wing, Market Yard, Dindori Road, Panchvati, Nashik- 422 003, Maharashtra, India.

in class 33 under no. 123 as of the date 22.04.2008
in respect of "NASHIK VALLEY WINE" Falling in Class 33 for Alcoholic Beverage

आज दिनांक माह 20 को चेन्नई में मेरे विवेक पर मुद्रांकित किया गया।
Sealed at my direction this 4th day of August 2010 at Chennai.

रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन
Registrar of Geographical Indication.

G.I.-123


ENTRY MADE IN PART-A OF THE REGISTER
NASHIK VALLEY WINE



THAT (1) NATIONAL HORTICULTURE BOARD, NO.85, INSTITUTIONAL AREA, SECTOR - 18, GURAGAON - 122 015, HARYANA, INDIA, (2) NASHIK VALLEY WINE PRODUCERS ASSOCIATION, NO.651, 'A' WING, MARKET YARD, DINDORI ROAD, PANCHVATI, NASHIK - 422 003, MAHARASHTRA, INDIA IS THE REGISTERED PROPRIETOR OF THE G.I - NASHIK VALLEY WINE.

Date: 04.08.2010
Place: Chennai

P.H. KURTIAN
Registrar of Geographical Indications



बागवानी दर्पण, प्रवेशांक

आम मलिहाबादी दशहरी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने देश-विदेश में प्रसिद्ध "आम दशहरी मलिहाबादी" को वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम, 1999 [(Geographical Indication of goods (Registration and Protection) Act, 1999, के अंतर्गत भारत सरकार के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (Geographical Indication Registry) में 15 मई 2008 को भौगोलिक पंजीकरण सं. 125 के तहत पंजीकृत करवाया है।

इस प्रकार के पंजीकरण से उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद क्षेत्र के अपने स्वाद एवं महक के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध आम "दशहरी मलिहाबादी" के नाम का अनाधिकृत प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और उस क्षेत्र विशेष के आम उत्पादकों के हित संरक्षित होंगे।

प्रारूप O-2
FORM O-2

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री
Geographical Indication Registry

भारत में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1999
Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999

भारत में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत
Certificate of Registration of Geographical Indication under section 16(1) of the said act under section 1(2) of the said act

भौगोलिक उपदर्शन संख्या
Geographical Indication No. 125

पंजीकृत उत्पादक संख्या
Authorized user No.

पंजीकृत तिथि
Date 15.05.2008

पंजीकृत किया गया है कि भौगोलिक उपदर्शन (जिनको संरक्षित करके आम अंतराष्ट्रीय श्रेणी में शामिल किया गया है)
Registered as Geographical Indication (which is protected under the said act and registered in the name of)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, सं. 85, औद्योगिक क्षेत्र, गुरुग्राम - 18, पृथिवी - 122 015 (हरियाणा)
National Horticulture Board, No. 85, Institutional Area, Sector - 18, Gurgaon - 122 015 (Haryana)

किसान सं. 31 सं. 125 दिनांक 15.05.2008

“आम मलिहाबादी दशहरी”
Mango Malihabadi Dushaheri

उत्पाद सं. 31 सं. 125 दिनांक 15.05.2008
In respect of “MANGO MALIHABADI DUSHAHERI” Falling in Class 31 for Mango (Agricultural Product)

आम मलिहाबादी दशहरी
Mango Malihabadi Dushaheri

कीटनाशक अवशेष नियंत्रण अभियान

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में जनवरी, 2011 में कीटनाशक अवशेष नियंत्रण अभियान (पी.आर.यू.सी.सी.) नाम से उपभोक्ता जागरूकता एवं विस्तार अभियान चलाया था। इस अभियान का उद्देश्य फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के दौरान किए गए कीटनाशकों के इस्तेमाल के स्तर का पता लगाना और इनके जरूरत से अधिक इस्तेमाल को रोकने की दिशा में जरूरी कदम उठाना था। इस अभियान के तहत एन.सी.आर. में स्थित संगठित रिटेल चेन जैसे सफल, बिग एपल, रिलाइंस फ्रेश आदि के बिक्री केन्द्रों और उनके पैक हाऊसों से ताजे फलों एवं सब्जियों के नमूने प्रशिक्षित अन्वेषकों द्वारा इकट्ठे

किए गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं में इन नमूनों की जाँच की गई। जाँच के बाद जिन बिक्री केन्द्रों के नमूनों में निर्धारित मानदंडों से अधिक कीटनाशकों के इस्तेमाल की मात्रा पाई गई जाएगी उन बिक्री केन्द्रों से ऐसे फलों एवं सब्जियों की उगाई करने किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्हें कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल के मानव शरीर पर पड़ने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी देते हुए सलाह दी जाएगी कि वे निर्धारित मानदंडों से अधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करें। रा.बा.बो. के ऐसे प्रयासों से निश्चित रूप से सामान्यजन को लाभ होगा और वे भविष्य में बेहतर फलों एवं सब्जियों का उपभोग कर पाएंगे।



बागवानी उत्पादों के लिए विशेष रेल सेवा

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) देश में उच्च तकनीक वाली वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं को बढ़ावा देता



रहा है। वर्तमान संदर्भ में, फलों और सब्जियों के लिए लम्बी दूरी के उपयुक्त बल्क परिवहन साधनों की जरूरत उत्पादक किसानों और व्यापारियों द्वारा महसूस की जाती रही है जिसके अभाव में बागवानी उत्पाद को उत्पादन क्षेत्र से दूरवर्ती उपभोग केन्द्रों में स्थित बाजारों तक सीमित फसल-कटाई उपरांत नुकसानों और सहनीय लागत पर लेकर जाना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाता है। उपर्युक्त संदर्भ में, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने मालगाड़ी की बोगियों का इस्तेमाल करते हुए रेलवे रैक द्वारा केला, प्याज, आलू, आम आदि की मौजूदा परिवहन प्रणाली का आंतरिक अध्ययन किया गया था और प्रशीतन परिवहन सुविधा शुरू करने के विकल्प के साथ, मॉग के अनुसार, कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) के साथ मिलकर उन्नत प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया गया था।

तदनुसार, कॉनकॉर और ट्रॉससेफ की मदद से इन्स्यूलेटिड तथा वेन्टिलेटेड कंटेनर डिजाइन किए गए जिसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टैक्नॉलजी (सीआईपीएचईटी), लुधियाना द्वारा पुनरीक्षण किया गया है। बाल्मर लॉरी ने खडगपुर (पश्चिम बंगाल) में प्रायोगिक तौर पर एप्रूव्ड डिजाइन का एक प्रोटोटाइप इन्स्यूलेटिड तथा वेन्टिलेटेड वैगन का निर्माण किया जिसका खडगपुर से कोयम्बटूर तक आलू ; शोलापुर तथा जलगाँव से नई दिल्ली तक केला और नई दिल्ली से कोलकाता तक सेबों के साथ ट्रॉयल रन किया गया है। अब, इसे वाशी (मुम्बई)-जलगाँव-आजादपुर के बीच प्रथम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट समाधान पाइलट आधार पर शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त मॉग के अनुसार आलू, प्याज एवं आम के साथ अन्य ट्रायल अलग-अलग मार्गों पर करने का प्रस्ताव भी है। इस श्रृंखला में 90 कंटेनरयुक्त बागवानी ट्रेन का केले के साथ सफल ट्रॉयल दिनांक 23-24 जनवरी 2012 को भुसावल से आजादपुर (नई दिल्ली) तक किया जा चुका है।




रा.बा.बो. परिवार की शान : निकिता आर्य



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) में वरिष्ठ सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत श्री पुष्पेन्द्र आर्य जी की सुपुत्री निकिता आर्य ने ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) द्वारा 15 से 22 अप्रैल 2010 तक आयोजित पृथ्वी सप्ताह के अंतर्गत 19 अप्रैल 2010 को आयोजित वादविवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। निकिता ने ज़ोनल स्तर की इस प्रतियोगिता में तो प्रथम स्थान प्राप्त किया ही, साथ ही उन्होंने राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी

स्थान पक्का कर लिया था। 21 अप्रैल 2010 को आयोजित की गई राज्य स्तर की प्रतियोगिता में निकिता ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। दिल्ली की मुख्य मंत्री माननीय श्रीमती शीला दीक्षित ने टेरी के चेयरमैन श्री आर.के. पचौरी और दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रमेश नेगी जी की मौजूदगी में निकिता आर्य की इस सफलता पर पुरस्कार प्रदान किया। रा.बा.बो. परिवार की ओर से निकिता आर्य को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।



अंतर्राज्यीय हार्टि फेअर 'संगम'-2011



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) हार्टि संगम शृंखला के अंतर्गत नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित कृषि पैवेलियन में दिनांक 27 से 30 मई 2011 तक हार्टि संगम 2011 – अंतर्राज्यीय हार्टि फेअर का आयोजन किया गया। रा.बा.बो. के माननीय प्रबंध निदेशक श्री बिजय कुमार जी, अपर प्रबंध निदेशक श्री एन.सी. मिस्त्री जी और इस महोत्सव की संकल्पना को मूर्त रूप देने में विशेष भूमिका अदा करने वाले रा.बा.बो. के वरिष्ठ अधिकारियों और इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस महोत्सव का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता सचिव श्री पी.के. बसु जी द्वारा किया गया। इस महोत्सव स्थल की बाहरी सजावट और प्रवेश द्वार से शुरू थीम एरिया इस महोत्सव की भव्यता को स्वतः ही प्रदर्शित कर रहे थे। इस महोत्सव में विभिन्न प्रान्तों से आए फल उत्पादकों ने आम, लीची,

केला, सेब एवं चीकू आदि की अनेक किस्में प्रदर्शित करते हुए दिल्लीवासियों को सस्ती दरों पर इन फलों का रसास्वादन भी करवाया। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर राज्यों से आए किसानों द्वारा लाए गए पूर्वोत्तर के प्रसिद्ध फूलों की मनमोहक किस्मों और मसालों ने लोगों को अपनी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महोत्सव के दौरान बागवानी फसलों के उत्पादकों के लिए उपयोगी आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस महोत्सव में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय सहित अनेक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा भारत में स्थित विभिन्न देशों के दूतावासों के विशिष्ट प्रतिनिधियों ने इस महोत्सव की संकल्पना और आयोजन की सराहना करते हुए माननीय प्रबंध निदेशक को बधाई दी। इस महोत्सव की संकल्पना और आयोजन के प्रचार-प्रसार में इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।




क्रिकेट : एपीडा बनाम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड



एपीडा के स्वर्ण-जयन्ती वर्ष में 6 फरवरी 2010 को एपीडा और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) के बीच नई दिल्ली के साकेत स्थित डी. डी.ए. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 20-20 क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। इस मैच का औपचारिक उद्घाटन एपीडा के चेयरमैन और रा.बा.बो. के प्रबंध निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से अमन एवं शांति के प्रतीक सफेद कबूतरों को आकाश में छोड़कर किया गया। इस सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन एपीडा द्वारा अपने स्वर्ण-जयन्ती वर्ष में आयोजित अनेक कार्यक्रमों की अंतर्गत किया गया था। एपीडा और रा.बा.बो. के अधिकारियों/कर्मचारियों की क्रिकेट टीमों के बीच यह

मैच बेहद रोमांचक रहा था। एपीडा की टीम बाद में खेलते हुए जीत के करीब पहुंचकर भी हार की ओर बढ़ रही थी और वहीं दूसरी ओर रा.बा.बो. की टीम पहले खेलकर सम्मानजनक एवं जीत योग्य स्कोर बनाने के बाद भी जीत के लिए संघर्ष कर रही थी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद एपीडा और रा.बा.बो. के अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा अन्य दर्शकों की दिलों की धड़कने तेज हो रही थीं। आखिरकार, इस मैच के आखिरी ओवर में एपीडा ने रा. बा.बो. से यह मैच छीनकर अपने नाम कर लिया। आखिरी ओवरों में हुए बहुत ही रोमांचक संघर्ष को देखकर कोई भी दाँतों तले अँगुली दबाने के लिए विवश था। दर्शकों ने एपीडा की जीत की सराहना के साथ-साथ रा.बा.बो. के संघर्ष को भी सलाम किया।



सेवानिवृत्ति : डॉ. (श्रीमती) लिली मित्रा और श्री एस.सी. शर्मा



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा. बो.) में वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले रा.बा.बो. के कर्मठ एवं निष्ठावान अधिकारी डॉ. (श्रीमती) लिली मित्रा (वरिष्ठ उप निदेशक) और श्री एस.सी. शर्मा (अनुभाग अधिकारी) की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में रा.बा. बो. के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भावुक विदाई दी। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉ. (श्रीमती) लिली मित्रा और श्री एस. सी. शर्मा जी द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ करते हुए बोर्ड को एक अपूरणीय क्षति बताया परन्तु साथ ही यह विश्वास जताया कि वे भले ही सेवानिवृत्ति की वजह से शारीरिक रूप से बोर्ड की सेवाएं त्याग रहे हों परन्तु उनका

मन बोर्ड के हित के लिए विचारशील रहेगा और भविष्य में जब कभी भी उनके मार्गदर्शन एवं सुझावों की आवश्यकता होगी तो वे हमारे बीच मौजूद होंगे। माननीय प्रबंध निदेशक एवं अपर प्रबंध निदेशक ने बोर्ड के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से डॉ. (श्रीमती) लिली मित्रा और श्री एस.सी. शर्मा जी को पुष्प-गुच्छ एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया और उनके स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। डॉ. (श्रीमती) लिली मित्रा और श्री एस.सी. शर्मा जी ने अपने-अपने वक्तव्यों में बोर्ड के सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया और विश्वास दिलाया कि जब कभी भी बोर्ड को उनके मार्गदर्शन एवं सुझावों की आवश्यकता होगी तो उसके लिए सदैव तैयार रहेंगे।




पद और चरित्र

पद (औहदा) वह हासिल नहीं कर सकता, जो चरित्र कर सकता है। औहदा एवं चरित्र के बीच के अन्तराल पर एक नज़र।

पद	चरित्र
परिवर्तनीय होता है।	अनंतकाल की तरह स्थायी होता है।
अधिकारों पर जोर देता है।	जिम्मेदारियों पर जोर देता है।
सिर्फ एक ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ाता है।	कई लोगों का मूल्य बढ़ाता है।
अतीत की उपलब्धियों को देखता है।	भविष्य के लिए विरासतें तैयार करता है।
दूसरों में अक्सर ईर्ष्या जगाता है।	सम्मान और ईमानदारी पैदा करता है।
आपको सिर्फ दरवाजे से अन्दर घुसा सकता है।	आपको वहाँ पर लम्बे समय तक बनाये रख सकता है।

— डी.पी. सिंह,
आंचलिक निदेशक, एवं राजभाषा प्रगारी



बागवानी दर्पण, प्रवेशांक

फोटो गैलरी



(कर्नाटक के एक पॉली हाऊस में जरबेरा की हाइ-टेक खेती)



(कर्नाटक के एक पॉली हाऊस में इंग्लिश खीरे की खेती)



(जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सी.ए. स्टोरेज)




(दिल्ली में आई.एस.ओ.डब्ल्यू.ए. कार्निवाल के दौरान रा.बा.बो. के स्टॉल पर श्रीमती गुरशरणजीत कौर पत्नी डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के माननीय प्रधानमंत्री)



(भुवनेश्वर (उड़ीसा) में बागवानी नर्सरी के प्रत्यायन एवं रेटिंग पर कार्यशाला)



(हैदराबाद (आ.प्र.) में बागवानी नर्सरी के प्रत्यायन एवं रेटिंग पर कार्यशाला)



फोटो गैलरी



(दिल्ली हाट (आई.एन.ए.), नई दिल्ली में संगम-2010)



(रा.बा.बो. परिसर के गार्डन को सरकारी गार्डन रखरखाव प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्रदान किया गया)



(रा.बा.बो. परिसर को सरकारी गार्डन रखरखाव प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान दिलाने में विशेष भूमिका अदा करने वाले मालियों को पुरस्कृत किया गया)




(रा.बा.बो. परिसर के गार्डन का मनमोहक दृश्य)



(“फ्रूट राइपनिंग चेम्बर्स तथा रिफर ट्रांसपोर्ट प्रणालियों पर तकनीकी मानक” विषयक कार्यशाला का दिनांक 23-10-2010 को आयोजन)



(श्री पी.के. बसु, सचिव (कृषि एवं सहकारिता) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट, नई दिल्ली पर रा.बा.बो. के स्टॉल का उद्घाटन)



बागवानी दर्पण, प्रवेशांक

फोटो गैलरी



(अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट, नई दिल्ली पर रा.बा.बो. का स्टॉल)



(रा.बा.बो. द्वारा बेंगलूर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हार्टिफेअर – 'संगम' का माननीय बागवानी मंत्री, कर्नाटक सरकार द्वारा उद्घाटन)



(रा.बा.बो. द्वारा बेंगलूर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हार्टिफेअर – 'संगम' का दौरा करते माननीय बागवानी मंत्री, कर्नाटक सरकार)



(बागवानी उपयोग के लिए लुधियाना (पंजाब) में संयंत्र तथा मशीनरी की राष्ट्रीय प्रदर्शनी)



(बागवानी उपयोग के लिए लुधियाना (पंजाब) में आयोजित संयंत्र तथा मशीनरी की राष्ट्रीय प्रदर्शनी के दौरान कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के साथ उत्तर-पूर्व से आए किसान)



फोटो गैलरी



(काजू प्रसंस्करण के लिए पीलिंग मशीन)



(बीजापुर (कर्नाटक) में किशमिश शैड)



(नासिक जिले के डिण्डोरी तालुका में पुष्पोत्पादन के समूह का सृजन)



(महाराष्ट्र राज्य में पुष्पोत्पादन समूह)



(गुजरात में नियंत्रित वातावरण में चीवों की खेती)



(गुजरात में नियंत्रित वातावरण में चीवों की खेती)



फोटो गैलरी



(बिहार राज्य में आलू प्लांटर की प्रदर्शनी)



(अरुणाचल प्रदेश राज्य में सेबों की छँटाई)



(नागालैंड में फलों की कटाई तथा परिवहन के लिए औजार तथा इम्प्लिमेंट्स की प्रदर्शनी)



देश की पहली बागवानी ट्रेन की झलकियाँ





देश की पहली बागवानी ट्रेन की झलकियाँ



फोटो गैलरी

देश की पहली बागवानी ट्रेन की झलकियाँ





हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएँ बनाम इंग्लिश

भारत की राष्ट्रभाषा, संघ तथा संघ शासित क्षेत्रों एवं अन्य 11 राज्यों की राजभाषा, विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, भारत की अधिकांश आबादी द्वारा बोली और समझी जाने वाली और विश्व के कई अन्य देशों में अपना परचम फहरा चुकी संस्कृत-पुत्री हिंदी का भविष्य निःसंदेह उज्ज्वल है। वर्तमान में, देश के लगभग 5 प्रतिशत से भी कम हिंग्लिश-भाषी लोग देश की 95 प्रतिशत से अधिक हिंदी एवं हिंदीत्तर-भाषी लोगों पर हावी होने की कोशिश कर रहे प्रतीत होते हैं। यह लगभग 5 प्रतिशत हिंग्लिश-भाषी लोग अंग्रेज़ी के माध्यम से भारत को इंडिया और इंडिया को अमेरिका के समान विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं। देश का प्रत्येक नागरिक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनते देखना चाहता है। हमें भारत को वह पुरातन भारत बनाना है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था उस समय देश में इंग्लिश-हिंग्लिश भाषा नहीं बल्कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएँ ही विद्यमान थीं। वर्तमान के विकसित राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, रूस, जर्मनी आदि तथा अरब देशों ने अपनी-अपनी भाषा के माध्यम से ही अपनी वर्तमान हैसियत बनाई है। यदि किसी विदेशी भाषा को अपनाकर ही विकास की ऊँचाईयों को छुआ जा सकता तो आज के विकसित राष्ट्र, विकसित नहीं अपितु विकासशील देश होने चाहिए थें। देश के हिंग्लिश-भाषी लोगों का कहना है कि अंग्रेज़ी रोज़गार एवं विकास की भाषा है, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से रोज़गार एवं विकास प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल इंग्लिश ही रोज़गार, व्यापार एवं विकास की भाषा नहीं है। अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है, जैसी कि आम धारणा है।

प्रकाशन जगत की अग्रणी संस्था पेंग्विन, जोकि केवल अंग्रेज़ी पुस्तकों का प्रकाशन करती थी, ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र की प्रतिष्ठित माइक्रोसॉफ्ट

कम्पनी हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में कार्य करने में समर्थ सॉफ्टवेयर बाज़ार में ला चुकी है। मोबाइल फोन की अग्रणी कम्पनियाँ नोकिया, सेमसंग, एलजी, मोटोरोला आदि अपने मोबाइलों में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में एस.एम.एस. आदि की सुविधा प्रदान कर रही हैं। सेटेलाइट चैनलों में अधिकांश चैनल हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। सेटेलाइट स्पोर्ट्स चैनलों ने अपने अधिकांश कार्यक्रम हिंदी में दिखाने शुरू कर दिए हैं, मैचों के सीधे प्रसारण के दौरान हिंदी में कमेंट्री सुनने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। मुख्यतः व्यापार जगत की खबरें देने के लिए कई हिंदी चैनल मैदान में उतर चुके हैं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के सेटेलाइट मनोरंजन चैनलों की भरमार है। रेडियो को पुर्नजीवित करने वाले एफ.एम. चैनल हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के गीतों को हिंग्लिश में लफ़्फ़ाज़ी के साथ प्रसारित करते हैं। सेटेलाइट म्यूज़िक चैनलों के वी.जे. हिंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं। देश में इंग्लिश धारावाहिकों अथवा फिल्मों का निर्माण करने के लिए कोई निर्माता-निर्देशक साहस करने को तैयार नहीं है जिस किसी निर्माता-निर्देशक ने ऐसा प्रयास किया भी तो वे अपनी फिल्मों के लिए दर्शक ढूँढते रह गए और उन्होंने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटाई। देशी-विदेशी कम्पनियों का कोई भी विज्ञापन हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के जुमलों के बिना पूरा ही नहीं होता।

हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएँ रोज़गार, व्यापार एवं विकास की भाषा है। देशी-विदेशी कम्पनियों द्वारा हिंदी एवं हिंदीत्तर भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल उनकी व्यावसायिक जरूरत है। व्यवसायी को बिज़नेस और रुपयों/डॉलरों से मतलब है न कि किसी भाषा से। उन्हें जिस भाषा के उपयोग से अधिक व्यापार मिलेगा वह उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, फिर चाहे वह भाषा हिंदी अथवा हिंदीत्तर भारतीय भाषा ही क्यों न हो। व्यवसायियों की अपनी कोई भाषा नहीं होती है।

रोज़गार, व्यापार, विकास एवं आम बोलचाल की भाषा हिंदी की सरकारी कार्यालयों में भी पकड़ मजबूत हुई है।




सर्वविदित है कि भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदीतर क्षेत्रों में स्थित भारत संघ के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी भी हिंदी में कार्य करने में रूचि ले रहे हैं। सरकारी वेबसाइट इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी में भी तैयार की जा रही हैं। भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय अथवा विभाग से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर हिंदी एवं अंग्रेजी में उपलब्ध है अथवा उपलब्ध करवाने की तैयारी की जा रही है। हिंदीतर भाषी लोग हिंदी में कार्य कर सरकार द्वारा चलाई जा रही हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं का खूब लाभ उठा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने के लिए बुनियादी ढाँचा मजबूत हुआ है। टाइपिस्टों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने और आशुलिपिकों को हिंदी में आशुलेखन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत संघ के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित किए जाने की समय सीमा वर्ष 2008 से बढ़ाकर वर्ष 2015 तक कर दी गई है ताकि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारी हिंदी में प्रशिक्षित हो सकें। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी में कार्य करने के लिए उल्लिखित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में, राजभाषा विभाग द्वारा ऑन-लाइन हिंदी प्रशिक्षण एवं मशीनी अनुवाद की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी प्रयोग में हो रही निरंतर वृद्धि को इस बात से समझा जा सकता है कि प्रमुख सॉफ्टवेयर कम्पनियाँ एक-से-एक आधुनिक हिंदी सॉफ्टवेयर बाज़ार में उतार रही हैं। इस दिशा में विश्व की प्रमुख सॉफ्टवेयर कम्पनी माइक्रोसॉफ्ट और सी-डेक की पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वह दिन भी दूर नहीं है जब हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा होगी। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनवाने की दिशा में प्रयासों को गति प्रदान की गई है। भारत सरकार की मदद से मारीशस में एक हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है। यह सचिवालय विश्व में हिंदी के प्रोत्साहन के लिए

विभिन्न विश्वविद्यालयों और संगठनों के बीच समन्वय कायम करेगा। वर्तमान में इंग्लिश, रूसी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाएँ हैं। इनमें इंग्लिश, रूसी, फ्रेंच और चीनी भाषा तो सुरक्षा परिषद के पाँच स्थाई सदस्य देशों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस तथा चीन की राष्ट्रभाषा है। अरबी और स्पेनिश भाषा को उनके कई देशों में प्रचलन को ध्यान में रखकर आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। इसी आधार पर भारत हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाए जाने की दावेदारी कर रहा है। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनवाने के लिए गैर-सरकार स्तर पर भी प्रयास तेज हो गए हैं।

हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के लिए सरकारी प्रयासों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग भी अपने-अपने भाषायी कर्तव्य का निर्वहन करें तो यह कार्य अपेक्षित समयावधि से पहले पूरा हो सकता है। भारतीय राजनेताओं को आधिकारिक विदेश यात्राओं के दौरान विदेशी राजनेताओं से राष्ट्रभाषा हिंदी में बातचीत करनी चाहिए। मीडिया के समक्ष संयुक्त वक्तव्य जारी किए जाने के समय राष्ट्रभाषा हिंदी का उपयोग किया जाना चाहिए। जब रूस, चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिकी, कोरिया, अरब देशों के प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रपति अपने विदेश दौरों के दौरान अपनी-अपनी राष्ट्रभाषा में बातचीत और मीडिया के समक्ष वक्तव्य दे सकते हैं तो भारतीय राजनेता भी ऐसा कर सकते हैं। उन राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विभाषी होते हैं तो भारतीय राजनेताओं के साथ भी द्विभाषी हो सकते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशनों में भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा अपना भाषण केवल राष्ट्रभाषा हिंदी में ही दिया जाए। पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र अधिवेशनों में सदैव अपना भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी में ही दिया है। जब भारतीय राजनेता ही राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों से हम यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वे संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करने का समर्थन करेंगे।



हिंदी फिल्म उद्योग की राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय हिंदी फिल्मों और गीतों के प्रशंसक विश्वभर में हैं। जो व्यक्ति हिंदी भाषा नहीं जानता है वह भी हिंदी फिल्मों और गीतों का आनंद लेता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब किसी विदेशी ने हिंदी फिल्मों और गीतों को समझने के लिए हिंदी भाषा सीखी है। हालीवुड के समकक्ष बॉलीवुड के कलाकार विदेश में स्टेज शो करते हैं। हिंदी गीतों की धुन पर विदेशी लोगों को थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं। बॉलीवुड के कलाकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे हिंदी फिल्मों के नायक अथवा नायिका होने के नाते सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिंदी भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करें। देश-विदेश के लोग जब इन कलाकारों द्वारा अभिनीत हिंदी फिल्में देख एवं समझ सकते हैं तो कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार भी अवश्य समझेंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हिंदी फिल्मों के महानायक अथवा महानायिकाएँ हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत न कर सकें। यदि बॉलीवुड अर्थात् हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, निर्माता-निर्देशक, फिल्म विश्लेषक आदि अपनी

फिल्मों एवं राष्ट्र की भाषा हिंदी को उचित स्थान प्रदान कर दें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ-साथ विश्वभाषा बनने से कोई नहीं रोक सकता।

हिंदी के लिए सबसे वैज्ञानिक और प्राकृतिक देवनागरी लिपि इस्तेमाल की जाती है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द मूलतः संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। हिंदी ने लचीला रूख अपनाते हुए विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के अनेक शब्दों को ज्यों का त्यों अपने में समाहित किया है और इस दिशा में निरन्तर प्रयासरत है।

निष्कर्षतः भारत की राष्ट्रभाषा, संघ तथा 11 राज्यों (जिनमें देश के लगभग 60 प्रतिशत से अधिक आबादी रहती है) की राजभाषा; रोजगार, व्यापार एवं विकास की भाषा; संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के लिए दावेदार एकमात्र दक्षिण एशियाई भाषा हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति से उसका भाषायी कर्तव्य निवर्हन अपेक्षित है।

— सुनील भुटानी



यमलोक में कंप्यूटर



देवलोक में देवराज इन्द्र के दरबार में रहस्यमयी खामोशी छाई है। सभी देवतागण दरबार में उपस्थित हैं। देवलोक के इतिहास में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। दरबार में व्याप्त रहस्यमयी खामोशी के बीच, देवताओं के गुरु बृहस्पति देवराज इन्द्र की अनुमति से सभा की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि देवताओं, जैसाकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वीलोक के प्राणी 'मनुष्य' यमलोक की कार्य-प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उनके आरोप हैं कि यमलोक के यमदूत मनुष्यों की प्राणात्माओं को पृथ्वीलोक से यमलोक लाने में धांधली करते हैं। यमदूत धनी मनुष्यों से रिश्वत लेकर उनके स्थान पर गरीब मनुष्यों की प्राणात्माओं को यमलोक ले आते हैं और यमलोक के लेखाधिकारी चित्रगुप्त से उनके कर्मों

एवम् जन्म-मृत्यु से संबंधित खतों में अपेक्षानुसार फेरबदल करवाते हैं। मनुष्यों के पाप एवं पुण्य कर्मों संबंधी खतों में हेराफेरी कर नरक की भागी मनुष्य-आत्माओं को स्वर्ग और स्वर्ग की भागी मनुष्य-आत्माओं को नरक भेजा जाता है। यमलोक की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है। चूंकि यमलोक देवलोक के अधीन कार्य करता है, इसलिए मनुष्यों के इन आरोपों की जाँच के लिए एक समिति का गठन कर सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए।

देवलोक के राजदरबार में मौजूद देवताओं ने मनुष्यों के इन आरोपों का एक स्वर में विरोध करते हुए कहा कि ये मनुष्य अपने को समझते क्या हैं। वे अपने सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आदि कर्तव्यों का निवर्हन तो ठीक से करते



नहीं, पाप अधिक और पुण्य कम करते हैं, सृष्टि रचयिता परमपिता ब्रह्मा द्वारा बनाए गए प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं और यमलोक की कार्य-प्रणाली पर प्रश्न उठाते हैं। इस विषय पर विवाद को बढ़ता देख देवराज इन्द्र ने इस संबंध में परमपिता ब्रह्मा जी की सहायता लेने का निर्णय किया। देवराज के नेतृत्व में सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पूरा मामला उनके समक्ष प्रस्तुत किया। परमपिता ब्रह्मा ने इस मामले में देवराज को ऐसा निर्णय लेने के लिए कहा जिससे यमलोक एवं देवलोक की कार्य-प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा कायम रहे। राजदरबार में लौटकर देवराज इन्द्र ने बृहस्पतिदेव की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया और तीन दिन में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

बृहस्पतिदेव ने जाँच कार्य तत्काल प्रारंभ करते हुए तीन दिन के अन्दर जाँच रिपोर्ट देवराज के समक्ष प्रस्तुत कर दी। इस जाँच रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई विशेष सभा में जाँच समिति के अध्यक्ष बृहस्पतिदेव ने देवराज की अनुमति से जाँच रिपोर्ट का सार पढ़कर सुनाया। इस सार में बताया गया कि मनुष्यों द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं। यह सब सुनकर राजदरबार में हलचल गई। बृहस्पतिदेव ने जाँच रिपोर्ट से एक मामले का उल्लेख किया। पृथ्वीलोक के एक मनुष्य सेठ धनीराम का अंतिम समय निकट आ गया था। यमलोक के अधिपति की आज्ञा से एक यमदूत सेठ धनीराम के प्राण-हरण के लिए पृथ्वीलोक पर पहुंचा। वह सेठ धनीराम के समक्ष प्रकट हुआ और उसे यमलोक चलने के लिए कहा। यमदूत को सामने देखकर सेठ के पसीने छूट गए। वह यमदूत के समक्ष गिड़गिड़ाकर कुछ और समय की मांग करने लगा। यमदूत ने कहा कि यह उसके अधिकार-क्षेत्र की बात नहीं है अतः उसे तत्काल यमलोक चलना होगा। सेठ धनीराम को एक युक्ति सुझी। सेठ ने यमदूत से कहा कि वह यमलोक चलने के लिए तैयार है परंतु आपको मेरा आतिथ्य स्वीकार करना होगा। हमारे यहां अतिथि को देव का दर्जा दिया जाता है और आप मेरे अतिथि हैं भले ही क्षण भर के लिए ही सही। बार-बार कहने पर यमदूत ने सेठ का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। यमदूत को सोने-चांदी के बर्तनों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पकवान

और पेय परोसे गए। जलपान से निवृत्त होने के पश्चात सेठ ने हीरों की एक गुथ्ठी यमदूत को उपहार-स्वरूप दी। यमदूत ने जब तक सेठ का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया था तब तक वह यमलोक की मर्यादाओं, आचार-संहिता एवं कार्य-प्रणाली की दुहाई देते हुए किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाने की बात कहता रहा परंतु आतिथ्य से निवृत्त होने के पश्चात सेठ के प्रति उसके मन में स्नेह जागृत हो गया। यमदूत ने सेठ से प्रसन्न होकर कहा कि वह उसे कुछ देना चाहता है। सेठ ने कहा "नहीं ! नहीं ! मैंने आपका सत्कार इसलिए नहीं किया था कि आप बाद में मुझे कुछ दें। परंतु यदि आप नहीं मान रहे हैं तो मुझे पृथ्वीलोक पर कुछ और समय बिताने का अवसर प्रदान करें। यमदूत को सेठ द्वारा अपनाई गई युक्ति समझ में आ गई थी, परंतु वह सेठ के आतिथ्य से उन्नत भी होना चाहता था। इसी बीच, यमदूत की नजर सेठ के नौकर पर गई जो सेठ की उन्न और सौष्ठव से लगभग मेल खाता था। यमदूत ने सेठ से कहा कि वह उसकी मदद कर सकता है बशर्ते उसे अपने नौकर का बलिदान करना होगा। सेठ इसके लिए तुरन्त तैयार हो गया। नौकर ने सेठ और यमदूत के बीच का वार्तालाप सुन लिया था। नौकर दौड़ता हुआ आया और यमदूत के पैरों में गिर पड़ा। नौकर बोला - "मालिक, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, बीवी तथा बूढ़े माता-पिता हैं और मैं परिवार में अकेला कमाने वाला हूँ। मुझपर रहम कीजिए, मुझ एक व्यक्ति से मेरे परिवार के आठ सदस्यों की जिंदगी जुड़ी है।" नौकर की बात सुनकर सेठ बोला - "अरे रामू ! तू चिंता क्यों करता है। मैं तुझे बदले में इतना धन दूंगा कि तेरा परिवार आजीवन सम्पन्न जीवन व्यतीत करेगा। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार पूरे विधि-विधान और चंदन की लकड़ियों से करवाऊंगा।" सेठ की बातें सुनकर नौकर की आँखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा कि यदि मैं जिंदगी भर मेहनत करूँ तो भी अपने परिवार के सदस्यों को सम्पन्न जिंदगी का अहसास तक भी नहीं करवा सकता। मेरा शरीर चंदन की लकड़ियों में स्वाहा होगा, ऐसा तो केवल राजा-महाराजाओं के साथ ही होता है। परंतु जैसे ही उसे अपने जीवन के अंत का मंजर दिखाई दिया, उसकी आँखों की चमक खत्म हो गई। काफी सोच-विचार करने के बाद नौकर ने सेठ की बात मान ली। सेठ ने नौकर से कहा कि वह उसके



बागवानी दर्पण, प्रवेशांक

परिवार को सम्पन्न जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं और नकदी शीघ्र ही भिजवा देगा। नौकर को सेठ पर पूरा विश्वास था क्योंकि वह उसके यहां पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा था और इसके अलावा वह सेठ के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी तो कर रहा था। यमदूत ने सेठ से कहा कि अब वह अपने नौकर के जीवनकाल का शेष जीवन जी सकता है, परंतु इसके लिए उसे हीरों की एक और गुथ्थी देनी होगी। सेठ ने शीघ्र ही एक और हीरों की गुथ्थी यमदूत को लाकर दे दी। यमदूत ने सेठ के स्थान पर नौकर के प्राणों का हरण किया और यमलोक में सीधे चित्रगुप्त के पास पहुंचा। यमदूत ने सेठ से ली गई दूसरी हीरों की गुथ्थी चित्रगुप्त को पकड़ाते हुए पूरी घटना कह सुनाई। यमलोक के लेखाधिकारी चित्रगुप्त ने नौकर और सेठ के जीवन-मृत्यु तथा पाप-पुण्य संबंधी खातों में आवश्यकतानुसार फेरबदल कर दिया। पृथ्वीलोक पर नौकर के परिवार का रो-रो कर बुरा हाल था, उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता सता रही थी। इस बीच, सेठ आया और नौकर के परिवार को दिलासा देते हुए बोला कि वह रामू का अंतिम-संस्कार करवाएगा और उन लोगों के भरण-पोषण के लिए भी जरूरी प्रबंध करेगा। सेठ ने रामू के पिता को दो हजार रूपए देते हुए कहा कि वह इन रूपयों से रामू का अंतिम-संस्कार करवाए और रामू की तेरहवीं के बाद रामू की पत्नी और बच्चों को उसके घर पर काम करने के लिए भेज दे जिसके बदले में वह उन्हें दो हजार रूपए प्रति माह वेतन देगा। सेठ की उदारता देखकर रामू के पिता सेठ के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त करने लगे। वहां मौजूद लोग भी सेठ की उदारता का गुणगान करने लगे।

बृहस्पतिदेव के मुख से इस घटना को सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बृहस्पतिदेव ने बताया कि जाँच रिपोर्ट में प्रस्ताव किया गया है कि दोषी यमदूतों को उनके घृणित कार्यों के लिए पृथ्वीलोक के अति गरीब परिवार में पैदा कर भेजा जाए, चित्रगुप्त को आजीवन-काल के लिए नरक में रखकर वह सभी यातनाएं दी जाएं जो नरक में रहने वाली अन्य दुरात्माओं को दी जाती है। चूंकि यमराज यमलोक का प्रमुख है और उसे इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतः यमराज को यमलोक के प्रमुख

के पद से हटाने का प्रस्ताव भी किया गया है। दरबार में उपस्थित देवताओं ने जाँच रिपोर्ट में किए गए इन प्रस्तावों का स्वागत तो किया परन्तु यह प्रश्न भी उठाया कि यदि चित्रगुप्त को नरक भेज दिया जाएगा और यमराज को यमलोक के प्रमुख के पद से हटा दिया जाएगा तो यमलोक की व्यवस्था किस प्रकार कार्य करेगी। बृहस्पतिदेव ने कहा कि इसका विकल्प भी जाँच रिपोर्ट में दिया गया है। पृथ्वीलोक में निर्मित सुपर कंप्यूटर यमलोक की संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करेगा। मनुष्य द्वारा तैयार की गई यह मशीन आज मनुष्य को ही पीछे छोड़ रही है। पृथ्वीलोक की सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं इसी प्रकार के कंप्यूटरों द्वारा संचालित की जाती हैं। सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वीलोक के प्राणियों के लिए बनाए गए नियमों और यमलोक की कार्य-प्रणाली को ध्यान में रखते हुए एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जाएगा। सुपर कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पृथ्वीलोक के प्रत्येक प्राणी की एक फाइल होगी जिसमें प्रत्येक प्राणी के जीवन-मृत्यु का समय, पाप एवं पुण्य कर्मों का ब्योरा (जोकि प्रति क्षण अपडेट होता रहेगा), पिछले जन्मों का ब्योरा आदि होगा। यही सॉफ्टवेयर प्रत्येक प्राणी के पाप एवं पुण्यों का विश्लेषण कर अगले जन्म का निर्धारण करेगा। सुपर कंप्यूटर यमदूतों को निर्देश जारी करेगा कि किस प्राणी का अंतिम समय आ गया है और किस प्राणात्मा को नरक अथवा स्वर्ग में भेजना है, नरक में किस प्राणात्मा को कितनी यातनाएं देनी हैं और स्वर्ग में किस प्राणात्मा को कितनी सुविधाएं देनी हैं। यह कंप्यूटर यमदूतों द्वारा पृथ्वीलोक से लाई गई प्रत्येक प्राणात्मा की पहचान करेगा कि यह प्राणात्मा वहीं है जिसको लाने का निर्देश कंप्यूटर द्वारा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार का एक-एक कंप्यूटर देवराज इन्द्र और परमपिता ब्रह्मा के कक्ष में भी लगाया जाएगा जोकि यमलोक के कंप्यूटर से नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़ा रहेगा अर्थात् यमलोक के कंप्यूटर में उपलब्ध सभी आँकड़े देवराज और परमपिता के कंप्यूटर में उपलब्ध होंगे। इस प्रकार, यमलोक की व्यवस्थाओं एवं कार्य-प्रणाली पर दोहरी नज़र भी रखी जा सकेगी।

दरबार में उपस्थित देवताओं ने यमलोक में कंप्यूटर लगाए जाने का स्वागत किया। देवराज इन्द्र के आदेशानुसार,



पृथ्वीलोक की अग्रणी कंप्यूटर हार्डवेयर कम्पनी से तीन सुपर कंप्यूटर और अग्रणी सॉफ्टवेयर कम्पनी से अपेक्षानुसार सॉफ्टवेयर तैयार करवाए गए। देवलोक एवं यमलोक से तीन देवताओं एवं तीन यमदूतों को अग्रणी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से कंप्यूटर संचालन का प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षित देवताओं ने देवलोक में चित्रगुप्त की पुस्तिकाओं के

सभी आँकड़े कंप्यूटरों में डाल दिए गए। एक भव्य समारोह में पृथ्वीलोक के रचयिता परमपिता ब्रह्मा ने यमलोक की कार्य-प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन किया। इस प्रकार, यमलोक में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंत हुआ और मनुष्यों का यमलोक की कार्य-प्रणाली में पुनः दृढ़ विश्वास कायम हुआ।

— सुनील भुटानी




अंतरात्मा



‘अंतरात्मा’ अर्थात् मानव शरीर के भीतर विद्यमान परमात्मा का अंश। यह अंश मानव को परमात्मा के होने का अहसास कराता है। प्राण-प्रतिष्ठा से लेकर प्राणहीन होने तक यह अंश मानव शरीर के भीतर विद्यमान रहता है और मानव-मस्तिष्क का मार्गदर्शन करता है। सर्वस्वीकृत है कि मस्तिष्क ही मानव-शरीर का मूल है। हृदय एवं हृदय-गति ही मानव शरीर के मूल हैं, इस मत के भी अनेक लोग हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, जब कोई व्यक्ति ‘कोमा’ अर्थात् ‘अचेतन’ की अवस्था में चला जाता है तो हृदय अपना कार्य पूर्ववत् ही करता रहता है परंतु मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। इस अवस्था को ‘मेडिकली डेथ’ अर्थात् ‘चिकित्सीय दृष्टि से मृत’ कहा जाता है। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क है। मानव-मस्तिष्क का संचालन परमात्मा के अंश के रूप में विद्यमान अंतरात्मा द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क में ही अच्छे और बुरे विचार उत्पन्न होते हैं और मस्तिष्क में उत्पन्न अच्छे-बुरे विचार ही मानव के अच्छे-बुरे कर्मों के कारण बनते हैं। परमात्मा का अंश मानव में बुरे विचार उत्पन्न नहीं करता, लेकिन मानव-शरीर के भीतर ही मनन्द्रियों भी मौजूद रहती हैं जो मानव को सदकर्मों के साथ-साथ दुष्कर्मों के लिए भी प्रेरित करती हैं। अंतरात्मा पर परमात्मा का प्रभाव होता है जो मानव को सदकर्मों के लिए प्रेरित करता है और मनन्द्रियों पर मानव का अधिक प्रभाव होता है जो सदकर्मों के लिए कम और दुष्कर्मों के लिए अधिक प्रेरित करता है। मानव के भीतर

मस्तिष्क और मनन्द्रियों के बीच सदैव अंतर्द्वंद चलता रहता है। जब मस्तिष्क प्रभावी होता है तो मानव सदकर्म कर यश एवं सुफल प्राप्त करता है और जब मनन्द्रियां प्रभावी होती हैं तो बहुधा मानव दुष्कर्म कर अपयश एवं पाप का भागी बनता है। जिस मानव का अपनी मनन्द्रियों और मस्तिष्क दोनों पर नियंत्रण होता है अथवा मनन्द्रियों और मस्तिष्क के बीच समन्वय स्थापित कर लेता है वह संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान युग में, मनन्द्रियां मस्तिष्क पर हावी है। मानव को भौतिकता के जाल में फांसने वाली मनन्द्रियां ही हैं। मानव अंतरात्मा की आवाज़ को दरकिनार कर मनन्द्रियों के प्रभाव में गलत निर्णय लिए चला जा रहा है। मनन्द्रियों के दिखाए मार्ग पर चलकर प्राप्त किया गया फल पानी के बुलबुले की भांति क्षण-भंगुर होता है जबकि अंतरात्मा की आवाज़ पर लिए गए निर्णयों से प्राप्त फल जलामृत के अथाह सागर के समान होता है। वर्तमान युग ‘कलयुग’ में, जलामृत के अथाह सागर की तुलना में पानी के बुलबुले का अधिक महत्व स्वाभाविक है। चूंकि वर्तमान में कलयुग चल रहा है, इसलिए मनन्द्रियों को अंतरात्मा पर हावी होने दिया जाए यह तो उचित नहीं है। कलयुग में सतयुग के गुण एवं कर्म-फल प्राप्त करने के लिए अंतरात्मा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करना होगा। मानव-शरीर को अंतरात्मा के प्रति पूर्णतः समर्पित करना होगा। एक बार मानव-शरीर अंतरात्मा को समर्पित हो गया तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम



बागवानी दर्पण, प्रवेशांक

कलयुग में रह रहे हैं अथवा सतयुग में। अंतरात्मा की आवाज़ का अनुसरण करके मानव स्वर्ग में अपना स्थान सुरक्षित कर सकता है। मानव जीवन के विविध पहलुओं से जुड़ी शंकाओं का समाधान मानव ही के भीतर विद्यमान अंतरात्मा के पास मौजूद है। प्रत्येक मानव को इस बात का ज्ञान एवं एहसास होता है कि पंचतत्त्वों (पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु) से निर्मित उसके शरीर में अंतरात्मा रूपी परमात्मा का अंश विद्यमान है। इसी कारण, मानव को पाप-पुण्य, सच-झूठ, अच्छाई-बुराई, सही-गलत आदि के बीच के अंतर का ज्ञान होता है। प्रत्येक पाप करने वाला जानता है कि वह पाप कर रहा है और इसके लिए उसे कभी-न-कभी दण्ड अवश्य मिलेगा, झूठ बोलने वाला जानता है कि वह झूठ बोल रहा है और इसके लिए उसे पाप का भागी बनना पड़ेगा और इसी प्रकार पुण्य करने वाला जानता है कि वह पुण्य-कर्म कर रहा है और इसके लिए उसे सुफल प्राप्त होगा, सच बोलने वाला जानता है कि वह सच बोल रहा है और इसके लिए पुण्य-फल प्राप्त होगा।

मानव को अपनी मनोन्द्रियों पर नियंत्रण करके अंतरात्मा द्वारा दिखाए गए सद्मार्ग पर चलना चाहिए। संभव है कि ऐसा करने पर मानव को कई बार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े और दुःख-पीड़ा की चरम स्थिति से गुजरना पड़े, लेकिन अंतरात्मा द्वारा दिखाए गए सद्मार्ग पर चलकर मानव को परमात्मा के आशीष एवं सफलता की प्राप्ति सुनिश्चित है। अंतरात्मा के दिखाए सद्मार्ग पर चलने के लिए

दृढ़ इच्छा-शक्ति और संभवतः उत्पन्न होने वाली असहज परिस्थितियों के लिए स्वयं को सदैव तैयार रखना जरूरी है। भौतिकतावाद का मूल मनन्द्रियां ही हैं। मनन्द्रियां ही चाहती हैं कि मेरे पास विशाल घर, सुंदर पत्नी/पति, अपार धन-दौलत, सुख-शांति, सांसारिक मान-सम्मान हो। मनन्द्रियों की इच्छा पूर्ति के कारण ही मानव पाप पर पाप कमाए चला जा रहा है। मनन्द्रियों पर अनियंत्रण और अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करना ही पाप की कमाई का मूल कारण है।

मानव को उसके अंतर्मन में इहलोक एवं परलोक के बारे में उठने वाले प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए अंतरात्मा का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। जिन कार्यों को करने से मानव-मस्तिष्क को सुख एवं शांति का एहसास होता है वह सद्कर्म है और जिन कार्यों को करने के लिए मस्तिष्क स्वीकृति प्रदान न करे और सुख एवं शांति का एहसास न हो वे सद्कर्म नहीं हो सकते हैं। सद्कर्म ही मानव-जीवन की सफलता की कुँजी है। अधीरता के कारण ही मानव अल्पावधिक सुख एवं शांति प्राप्त करता है। दीर्घावधिक सुख एवं शांति के लिए मानव का धैर्यवान एवं कर्मशील होना अनिवार्य है। निष्कर्षतः मानव-शरीर के भीतर विद्यमान परमात्मा अंश 'अंतरात्मा' मानव का सर्वश्रेष्ठ गुरु है जो मानव को धर्म एवं लोक-परलोक से संबंधित प्रश्नों का पवित्रतम उत्तर प्रकट करता है। अंतरात्मा ही मानव-शरीर का मूल है।

— सुनील भुटानी



राजभाषा हिंदी संगोष्ठी

बृहस्पतिवार, दिनांक 17 मार्च 2011 को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, गुड़गाँव के सभागार में "राजभाषा हिंदी संगोष्ठी" का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अपर प्रबंध निदेशक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री एन.सी.

मिस्त्री जी ने की थी। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध निदेशक श्री बिजय कुमार जी द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जानी थी परन्तु वह किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, फलस्वरूप, श्री मिस्त्री जी द्वारा सानिध्य प्रदान करने के साथ-साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संसार चन्द, अपर आयुक्त, आयुक्तालय,



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली-3 थे। यहां पर भी यह उल्लेख करना आवश्यक है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं आयुक्तालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली-3 में आयुक्त श्री शशांक शेखर शर्मा जी को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आना था परन्तु वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्तता के कारण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए थे। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग के अध्यक्ष प्रो. के. बिजय कुमार और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पूरनचन्द टंडन मौजूद थे। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में उप निदेशक एवं राजभाषा प्रभारी श्री डी.पी. सिंह जी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसी बोर्ड में वरिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव श्री सुनील भुटानी ने कार्यक्रम का संयोजन और मंच संचालन किया।


इस संगोष्ठी में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुडगांव के 18 सदस्य कार्यालयों से 23 प्रतिनिधियों के अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी के आयोजन का उद्देश्य भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करना और विशिष्ट विषय विशेषज्ञों के ज्ञानवर्धक विचारों से मार्गदर्शन प्राप्त करना था। यह संगोष्ठी अपना उद्देश्य पूरा करने में बेहद सफल रही।

प्रो. के. बिजय कुमार जी और डॉ. पूरनचन्द टण्डन जी के सारगर्भित वक्तव्यों का मूल यह था कि किसी भी भाषा का कोई भी शब्द सरल या मुश्किल नहीं होता है। जिन शब्दों का प्रयोग हम बार-बार करते रहते हैं वे शब्द सरल होते हैं और जिन शब्दों का प्रयोग हम सामान्य तौर पर नहीं करते हैं वे शब्द कठिन होते हैं। अंग्रेजी में अनेक ऐसे शब्द हैं जोकि बहुत ही क्लिष्ट और समझ से परे होते हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्दों के अर्थ समझ नहीं आने पर यह नहीं कहता है कि अंग्रेजी भाषा के शब्द मुश्किल और समझ से परे हैं। लेकिन इसी के उल्टे जब हिन्दी भाषा का कोई शब्द विशेषतः पारिभाषिक शब्द किसी की समझ में नहीं आता है तो वह

यह कहने लगता है कि हिन्दी बहुत ही क्लिष्ट और मुश्किल भाषा है। पारिभाषिक शब्द गढ़े जाते हैं और इनका स्वरूप कृत्रिम दिखाई देना आश्चर्य की बात नहीं है। पारिभाषिक शब्द एक विशेष प्रकार का शब्द होता है जिसका कोई पर्याय नहीं होता है। पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल हम अपने कार्यालयी कामकाज में करते रहते हैं। जिन शब्दों का अधिक इस्तेमाल करते हैं वे हमें सरल और बोधगम्य लगते हैं और जिन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं वे हमें मुश्किल लगते हैं। पारिभाषिक शब्द केन्द्रीय सरकार के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के कार्यालयों के लिए अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। इन पारिभाषिक शब्दों से सामान्यजन का कोई लेना देना नहीं होता है। आम बोलचाल की भाषा और पत्र-व्यवहार में उपयोग की जाने वाली भाषा में अन्तर होता है। जब एक व्यक्ति अपने मित्र से आमने-सामने या फोन पर बातचीत के दौरान जिस प्रकार की भाषा और वाक्य संरचना का प्रयोग करता है, यदि वही व्यक्ति अपने उस मित्र को कोई पत्र लिखेगा तो वह सामान्य बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। वह पत्र में औपचारिकताओं का ध्यान रखेगा। विचारों को संप्रेषित करने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करेगा। इसी प्रकार, जब हम कार्यालयी कामकाज करते हैं तो हमें पारिभाषिक शब्दों का ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि कार्यालयी कामकाज के दौरान प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का एक विशेष संदर्भ और अर्थ होता है जोकि एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। इन दोनों विशिष्ट अतिथि वक्ताओं ने अपने बौद्धिक विचारों से सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों का मन मोह लिया।

इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री संसार चन्द जी ने अपने सम्बोधन में नराकास के सदस्य कार्यालयों से आवाहन किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और समय-समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करें।

इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री एन.सी. मिस्त्री जी ने इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अपने सारगर्भित शब्दों में सभी से आग्रह किया कि वे कार्यालयी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास करें और भविष्य में इस प्रकार के आयोजन अलग-अलग कार्यालयों



में आयोजित किए जाएं।

नराकास के सदस्य कार्यालयों से आए प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया कि वे आज के इस कार्यक्रम अथवा संगोष्ठी के विषय पर अपने विचार प्रकट करें। ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि श्री एम.एस. आनन्द जी ने इस कार्यक्रम की सफलता पर नराकास के सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों की ओर से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का आभार व्यक्त किया और पारिभाषिक शब्दों के उपयोग और महत्ता पर अपने संक्षिप्त विचार प्रस्तुत किए। तत्पश्चात, नराकास के सदस्य सचिव श्री रामसरन जी ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का धन्यवाद किया कि बोर्ड ने नराकास के साथ मिलकर इतने गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने भी संगोष्ठी के विषय पर सारगर्भित विचार प्रकट किए।

उप निदेशक एवं राजभाषा प्रभारी श्री डी.पी. सिंह जी ने सभागार में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, नराकास के सदस्य कार्यालयों से आए प्रतिनिधियों, रा.बा.बो. के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रशासन प्रभाग और कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ी हिन्दी अनुभाग की टीम के

सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया।

इस कार्यक्रम के समन्वयक और मंच संचालक श्री सुनील भुटानी ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हुए उम्मीद जाहिर की थी कि नराकास के 52 सदस्य कार्यालय है और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए प्रत्येक माह में इस प्रकार का एक कार्यक्रम नराकास के साथ संयुक्त रूप से अवश्य आयोजित किया जाएगा।

तत्पश्चात, श्री डी.पी. सिंह जी ने नराकास के सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों को रा.बा.बो. के खूबसूरत उद्यान, पॉली हाऊस और ग्रीन हाऊस के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधियों ने रा.बा.बो. के उद्यान के रखरखाव और यहां मौजूद विभिन्न प्रजातियों के फलों एवं फूलों की किस्मों की जम कर तारीफ की। इस प्रकार, रा.बा.बो. के सभी मेहमान विद्वान कार्यक्रम की सफलता के लिए रा.बा.बो. को बधाई देते हुए विदा हुए।

— सुनील भुटानी



हिन्दी में टिप्पणी या पत्र लिखना: कितना आसान

सरकारी कार्यालय में अनेक व्यक्ति चाहते हैं कि वे हिन्दी में सरकारी कामकाज करें। परन्तु एक प्रश्न बार-बार उनके सामने आ जाता है कि क्या वे हिन्दी में काम कर भी सकेंगे। उन व्यक्तियों की धारणा है कि वे यद्यपि हिन्दी बोल तथा समझ लेते हैं परन्तु हिन्दी लिख नहीं सकते। उन्हें यह भी डर है कि यदि वे हिन्दी लिखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उपयुक्त शब्द नहीं मिल पायेंगे या वे जो कुछ लिखेंगे वह हिंदी नहीं मानी जाएगी। इस स्थिति के अनेकों कारण हैं। कुछ लोगों की यह धारणा बन चुकी है कि जो बात सीधे-साधे शब्दों में आसानी से समझ में आ जाए वह हिंदी नहीं हो सकती। यदि "leave may be granted" की जगह कोई "छुट्टी दे दी जाए" कहे तो कुछ व्यक्तियों को उससे तसल्ली नहीं होती। वे इसे हिन्दी तभी

मानेंगे जब उसे "अवकाश प्रदान की जाए" या ऐसा ही कुछ लिखा जाए।

बहुत पहले की बात है कि किसी एक अधिकारी के मन में हिन्दी में कार्य करने की इच्छा प्रकट हुई जिसने चौथी या पांचवी कक्षा तक ही हिन्दी पढ़ी थी और वह कहने लगा कि यदि उसे कोई अच्छा शब्दकोश उपलब्ध करवा दिया जाए तो वह भी हिन्दी में लिखना प्रारंभ करेंगे। उससे अनुरोध किया कि हिन्दी में कार्य करने के लिए शब्दकोश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, वह बिना शब्दकोश के हिन्दी लिखना आरंभ करें। उसके द्वारा लिखी हिन्दी टिप्पणियां सरल और स्वाभाविक होंगी तथा दूसरों के लिए आदर्श होंगी। उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने हिन्दी में टिप्पणियां लिखना आरंभ कर दिया। हिन्दी का कम ज्ञान होते हुए भी उनकी हिन्दी



टिप्पणियों में सारे विचार क्रमबद्ध रूप में बहुत ही सुंदर रूप से उतरते थे। जिन व्यक्तियों ने भी उन टिप्पणियों को देखा उनके मन में यह भ्रम दूर होते हुए देर न लगी।

हिन्दी के प्रति गलतफहमी – इसका उदाहरण है कि किसी कार्यालय में कुछ अधिकारी किसी विषय पर आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी किसी ने यह बात उठाई कि अब सरकार ने कार्यालय में कामकाज हिन्दी में करने की अनुमति तो दे दी है परन्तु हिंदी में कार्य किस प्रकार किया जाएगा। पर्यायों की समस्या की बात भी उठी। एक सज्जन ने पूछा कि *misunderstanding* को हिन्दी में क्या कहेंगे तो तुरंत दूसरे सज्जन ने कहा कि “गलतफहमी”। वहां बैठे व्यक्ति अधिकतर उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी आदि भाषा जानने वाले थे। उन्होंने आश्चर्य से कहा “गलतफहमी” क्या हिन्दी शब्द है? क्या इसे हिन्दी कह सकते हैं? और जब हिन्दी जानने वाले सज्जन ने उत्तर दिया यही तो आपकी गलतफहमी है, तो उससे एक क्षण में ही उनकी सारी गलतफहमी अपने आप दूर हो गई और उनमें से कई व्यक्ति थोड़ा बहुत कार्य हिन्दी में करने लगे। परन्तु यदि उन्हें उसी का पर्याय “भ्रांत धारणा” बताया जाता तो उनकी हिन्दी के प्रति भ्रांत धारणा सदा ही बनी रहती और वे कभी भी हिन्दी में लिखने का साहस नहीं करते।

हिन्दी इतनी सरल – इसका भी एक उदाहरण है। एक सज्जन की, जिनकी मातृभाषा तमिल थी, एकबार हिन्दी की टिप्पणियों के कुछ नमूने देखने को मिले। वे टिप्पणियां सरल और स्वभाविक भाषा में लिखी गई थी। वे उन्हें थोड़ी देर तक ध्यानपूर्वक देखते रहे और सहसा कह उठे “क्या हिन्दी इतनी आसान है? मैं तो कभी सोचा भी नहीं था, इस प्रकार तो मैं भी हिन्दी में लिख सकता हूँ। तभी वहां बैठे किसी दूसरे सज्जन ने उनसे निवेदन किया जी हाँ, यह वास्तविकता है, हिन्दी वास्तव में आसान है, इतनी आसान कि आप भी हिन्दी में लिखना आरंभ कर सकते हैं”। उस दिन उनका से वह भ्रम, जो अनेकों हृदयों में है, अनायास दूर हो गया।


अनेक कार्यालयों में कई सरकारी विषयों पर चर्चा मौखिक रूप से हिन्दी में होती है लेकिन लिखते समय आत्म विश्वास की कमी बाधक बन जाती है। हिन्दी लिखते समय आप अनुवाद की बात बिल्कुल न सोचें। यदि यदि आप अपनी बात

अंग्रेजी में सोचेंगे और फिर उनका हिन्दी में अनुवाद करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको देर भी लगेगी और भाषा भी अच्छी नहीं बनेगी। आदत डालिए कि आप जो कहना चाहते हैं वह सीधा ही हिन्दी में लिखा जाए। सहज भाव से लिखी गई ऐसी हिन्दी सबकी समझ में आएगी और सब उसकी प्रशंसा करेंगे। जो लोग अनुवाद के सहारे हिन्दी में काम करते हैं, उन्हें उस सहारे की लगातार जरूरत बनी रहती है। उनकी भाषा जानदार भी नहीं बन पाती है। कठिनाई तब होती है जब प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का हिन्दी पर्याय शब्दकोष में ढूँढ़ने का प्रयास किया जाता है और यदि पर्याय मालूम न हो तो हिन्दी लिखने का प्रारंभ नहीं किया जाता।

एक बार एक सहयोगी ने पहली बार हिन्दी में टिप्पणी लिखने का निश्चय किया। उनकी मातृभाषा हिन्दी थी। मुझे पूछने लगा “मैं लिखना चाहता हूँ, *file may be kept pending*” इसके लिए हिन्दी पर्याय क्या होंगे। मैंने उन्हें सलाह दी कि वे लिखे “फाइल पेंडिंग रख दी जाए” वह थोड़ी देर सोचने लगे और कहने लगे कि “क्या वह हिन्दी है।” मैंने कहा घबराइये नहीं, हिन्दी ऐसी दरिद्र भाषा नहीं है कि उसमें विभिन्न शब्दों के पर्याय न हों, परन्तु यदि आप प्रत्येक शब्द के लिए कोश का सहारा लेते रहेंगे तब आप कभी हिन्दी में काम नहीं कर पाएंगे और हमेशा शब्दों के ही दास बने रहेंगे। वास्तव में जो व्यक्ति संकोच छोड़कर एक बार हिन्दी लिखना आरम्भ कर देते हैं, उनकी कलम अपने आप “हिन्दी शब्द” लिखना आरंभ कर देती है, विभिन्न अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय स्वयं उनके पास दौड़ते चले आते हैं।

विश्वास रखिए आप काफी हिन्दी जानते हैं। जितनी जानते हैं उसके आधार पर ही अपने कार्यालय का काम हिन्दी में करना आरंभ कर दीजिए। कुछ दिन के अभ्यास से आपकी भाषा में सुधार होने लगेगा, तब वह और अच्छी दिखाई देने लगेगी। यदि आप लिखना शुरू करेंगे तो उससे आपके साथी और अधीनस्थ कर्मचारी भी प्रेरणा लेंगे। आप पहल कीजिए, स्वयं आगे आइए, थोड़े दिन में ही दिखाई पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हैं और भी लोग हिन्दी लिखने लगे हैं।

— नरेश गुप्ता,
हिन्दी अनुवादक, रा.बा.बो., गुड़गांव



आर्तनाद

मैं सदियों से यहाँ बंधक हूँ,
मेरा आर्तनाद मेरा साथी है।
इस हाड़-मांस के जंगल के
कण-कण में भरी उदासी है।
इस जंगल की एक रानी है,
जो पड़ी है मृत्यु शैया पर।
निर्मल जल की दो बूँदों को,
जिह्वा है जिसकी गई तरस।
इस जंगल में एक महल भी है,
जहां जाने से मैं डरती हूँ।
क्योंकि लालच और क्रोध से,
मैं अधिक से अधिक बचती हूँ।
अरे ओ ! मानव अनजानी,
अरे, अब तो तू समझ।
ये सारा खेल है तेरा,
अब तू ही वो नासमझ।
ये जंगल तेरी देह,
और रानी अभागी आत्मा।
शांति की एक घूँट की,
जो करती रह गई प्रार्थना।
ये महल तेरा दिमाग,
जिसमें जन्मे लोभ और दुराचार और मैं।
मैं हूँ मानवता, जिसके कुछ वर्षों में,
लुप्त होने के हैं आसार।
ये सोने-चौंदा के टीले,
और ये चलकते रंग।
ये चकाचौंध की दुनिया,
कहाँ थमेगा तेरा स्वप्न तुरंग?
ये झूठ का साम्राज्य नहीं टिकेगा ज्यादा दिन,
ये खोखली खूबसूरती का है इक प्रतिबिंब।
झूठ की जरूरतें हैं पहनने को मुखौटा।
सत्य तो निर्मल जल और पावक सा है पवित्र।
हवा में उड़ने वाले सुन,
धरा पर पग धर ज़रा।
झूठ के पुजारी सुन,
तृप्ति में है सुख बड़ा।
इस जंगल को उपवन बना ले,
शांति-करुणा उगा।
इस महल में आत्मा की,
सत्य का ताज पहना।

— निकिता आर्य

जब चेतना ही मर गई

फोड़ दो इन आँखों को,
जो ना अंदर देखें न बाहर।
झोंके बस शून्य में,
ढूँढे जो है नहीं।
फोड़ दो इन आँखों को,
क्या काम है इनका।
ये पत्थर की गोलियाँ हैं,
ऑसू नहीं पानी बहाएँ।
झूठ ही खती हैं ये और,
डर को भी झूठ खिलाएँ।
फोड़ दो इन आँखों को,
क्या काम है इनका।
आज जब रंगों में पानी और,
नालियों में खून बहता है,
जब दुकानों पर आबरू और,
मंदिरों में बारूद बिकता है।
जब पैसा खुदा है,
और खुदा के घर जंग होती है।
जब आत्मा गुनाह,
और कुदरत पाप ढोती है।
तब आँखें तो नहीं पर,
कोने में बैठ, बस इंसानियत रोती है।
तो फोड़ दो इन्हें,
क्या काम इन दीदों का,
जब चेतना ही मर गई।
सीने में इस्पात है जब,
संवेदना ही मर गई।




— निकिता आर्य

जन-जन की हिंदी

हिन्दी तुम ही मेरी आशा या जीवन की अभिलाषा हो।
तुम पर क्या एकाधिकार करूँ, तुम हो जन जन की भाषा।।
तुमसे नानक तुलसी पनपे, जयसी मीरा व रसखान।
तेरा तो भंडार भरा है, बस हिन्दी का हो जयगान।।
हिन्दी बहुत उदारमान है, इसका स्नेह भंडार घना है।
मित्रों! छोड़ो अंग्रेजी अब, अपनाओ जन जन की हिन्दी।


— नरेश गुप्ता

हिन्दी अनुवादक, रा.बा.बो., गुडगांव



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का निदेशक मंडल

1. श्री शरद पवार माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री कृषि भवन, नई दिल्ली।	अध्यक्ष	10. अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडी), सिसी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, 3, एनसीयूआई भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली।	सदस्य
2. श्री हरीश रावत माननीय केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कृषि भवन, नई दिल्ली।	उपाध्यक्ष	11. श्री ए. एल. मीणा, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली।	सदस्य
3. श्री पी. के. बसु सचिव (कृषि एवं सहकारिता विभाग) एवं अध्यक्ष, प्रबंध समिति, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगाँव	सदस्य	12. श्री जी. गुरुसिद्धैया सं. 29, 2रां क्रॉस, सिंडिकेट बैंक कॉलोनी, अराकर गेट, बेनरघारा रोड़, बेंगलुरु-560076	गैर-सरकारी सदस्य
4. डॉ. एस. अय्यप्पन महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	13. श्री आर.के. केडिया राधा कृष्ण इम्पेक्स प्रा. लि., राधा कृष्ण निवास, सिकंदरपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार	गैर-सरकारी सदस्य
5. श्री आशीष लाम्बा अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	14. श्री सोपान सखाराम कंचन महाग्रेप्स, ई-15, निसरग मार्केट यार्ड, गुलटेकड़ी, पुणे - 411037	गैर-सरकारी सदस्य
6. श्री ए. के. ठाकुर अपर सचिव प्रभारी (बागवानी), कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	15. श्री आर. मूर्ति सचिव, पुष्प उत्पादक असोसिएशन, 261, 5वीं गली, आनन्दगिरि, कोडइकनाल, डिंडीगुल-624101, तमिलनाडु	गैर-सरकारी सदस्य
7. श्री संजीव चोपड़ा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	16. श्री फिरोज एन. मसानी मसानी फार्म हीराबाग, गंगापुर रोड़, बी.ओ. वाया- वार्ड.सी.एम.ओ.यू. पो.ओ. नासिक - 422222	गैर-सरकारी सदस्य
8. डॉ. गोरख सिंह बागवानी आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	17. श्री इंसाराम अली अध्यक्ष, भारतीय आम उत्पादक संघ, मैंगो हाऊस, मल्लिहाबाद, लखनऊ (उत्तरप्रदेश)	गैर-सरकारी सदस्य
9. श्री वी. वी. सदामते सलाहकार (कृषि), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।	सदस्य		



बागवानी दर्पण, प्रवेशांक

- | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| 18. श्री अजीत घोरपड़े
शेतकारी सहकारी दुग्ध संघ
कवाथेमाहनकल,
पोस्ट - तहसील - कवाथेमाहनकल,
सांगली - 416415, महाराष्ट्र | गैर-सरकारी
सदस्य | 20. श्री शेखर पदगीलवार,
निदेशक, पदगीलवार एगो इण्डस्ट्रीज
192, वर्धमान नगर, सी.ए. रोड,
नागपुर - 440008 (महाराष्ट्र) | गैर-सरकारी
सदस्य |
| 19. श्री संगराम आर. जगताप
जगताप नर्सरी,
3, नजदीक गोलीबार मैदान
बी.एच.एस.एम. जोशी हिन्दी हाई स्कूल
वानोवारी बाजार, फाईरी रोड, पुणे,
महाराष्ट्र - 411040 | गैर-सरकारी
सदस्य | 21. श्री एल.बी. सिनाटे
011-अनुभव अपार्टमेंट्स, बाइलेन नं0 3,
नजदीक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय,
बैलटोला, गोवाहटी - 781028 | गैर-सरकारी
सदस्य |
| | | 22. श्री बिजय कुमार
प्रबंध निदेशक, रा0बा0वो,
गुडगांव | पदेन
सदस्य-सचिव |



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति

- | | | | |
|--|---------|--|------------|
| 1. श्री पी. के. बसु
सचिव (कृषि एवं सहकारिता)
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली। | अध्यक्ष | 6. अध्यक्ष,
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीड),
सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया,
3, एनसीयूआई भवन,
अगस्त क्रान्ति मार्ग,
नई दिल्ली। | सदस्य |
| 2. श्री ए. के. ठाकुर, अपर सचिव
(बागवानी प्रभारी)
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली। | सदस्य | 7. महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड)
आईसीडी, तृतीय तल, बी विंग
प्लाट नं. सी-24, जी ब्लॉक,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई- 400051 | सदस्य |
| 3. श्री आशीष बहुगुणा
अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली। | सदस्य | 8. श्री सोपान सखाराम कंचन
महाग्रेप्स, ई-15, निसरग मार्केट यार्ड,
गुलटेकड़ी, पुणे - 411037 | सदस्य |
| 4. डॉ. गोरख सिंह, बागवानी आयुक्त
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली। | सदस्य | 9. श्री बिजय कुमार
प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव | सदस्य-सचिव |
| 5. श्री संजीव चोपड़ा
मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली। | सदस्य | | |



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1	श्री विजय कुमार, आई.ए.एस.	प्रबंध निदेशक
2	श्री नारायण चन्द्र मिस्त्री	अपर प्रबंध निदेशक
3	डॉ. रविन्द्र कुमार शर्मा	आंचलिक निदेशक
4	श्री प्रवीण कुमार सिंह	आंचलिक निदेशक
5	श्री ब्रजेन्द्र सिंह	आंचलिक निदेशक
6	श्री धीर पाल सिंह	आंचलिक निदेशक
7	श्री सुभाष चन्द्र जैन	उप निदेशक (वित्त एवं लेखा)
8	श्री हरि सिंह	वरिष्ठ सहायक निदेशक
9	श्री राम जन्म राम	वरिष्ठ सहायक निदेशक
10	श्री राजबीर सिंह	वरिष्ठ सहायक निदेशक
11	डॉ. अनिल कुमार दास	वरिष्ठ सहायक निदेशक
12	डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी	वरिष्ठ सहायक निदेशक
13	श्री बी. राधा कृष्ण मूर्ति	वरिष्ठ सहायक निदेशक
14	श्री विमल कुमार शर्मा	वरिष्ठ सहायक निदेशक
15	डॉ. सुभाष चन्द्र पंवार	वरिष्ठ सहायक निदेशक
16	श्री पुष्पेन्द्र आर्य	वरिष्ठ सहायक निदेशक
17	श्री भगवान राजाराम देवघरे	वरिष्ठ सहायक निदेशक
18	श्री राम कुमार दास	वरिष्ठ सहायक निदेशक
19	श्री लाल सिंह	वरिष्ठ सहायक निदेशक
20	श्री बनी सिंह	वरिष्ठ सहायक निदेशक
21	श्री राधेश्याम मीणा	वरिष्ठ सहायक निदेशक

क्रम सं.	नाम	पदनाम
22	श्रीमती टी. बाला सुधाहारी	वरिष्ठ सहायक निदेशक
23	श्री ढाल सिंह	वरिष्ठ सहायक निदेशक
24	श्री उमा शंकर भारद्वाज	वरिष्ठ सहायक निदेशक
25	श्री शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	सहायक निदेशक
26	डॉ. केदार नाथ त्रिपाठी	सहायक निदेशक
27	श्री उमेद सिंह	सहायक निदेशक
28	श्री प्रेम नारायण	सहायक निदेशक
29	श्री धर्म सिंह	सहायक निदेशक
30	श्री लक्ष्मण सिंह	सहायक निदेशक
31	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह	सहायक निदेशक
32	श्री हरि किशन डबास	सहायक निदेशक
33	श्री दिनेश कुमार पाल	सहायक निदेशक
34	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	सहायक निदेशक
35	श्री रवि कान्त सिंह	सहायक निदेशक
36	श्री सुरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक
37	श्री चन्द्र प्रकाश गांधी	सहायक निदेशक (कम्प्यूटर)
38	श्री हुकम चन्द रोहिल्ला	लेखा अधिकारी
39	श्री जनक राज गांधी	अनुभाग अधिकारी
40	श्री भारत रतन मेहता	अनुभाग अधिकारी
41	श्री सुनील भुटानी	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
42	डॉ. कालू राम वर्मा	सहायक



बागवानी दर्पण, प्रवेशांक

क्रम सं.	नाम	पदनाम
43	श्री नरेन्द्र कुमार चौरसिया (निलंबनाधीन)	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
44	श्री जगवीर सिंह	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
45	श्री सतीश कुमार शर्मा	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
46	श्री दया राम	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
47	डॉ. रविन्द्र सिंह राणा	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
48	श्री शरद श्रीराम कड्डू	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
49	श्री अनिल कुमार	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
50	श्री कैलाश चन्द्र तोमर	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
51	श्री राम नरेश	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
52	श्री उदयवीर सिंह	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
53	श्री एस. वेंकटेश्वलू	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
54	श्री संसार अहमद	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
55	श्री रमेश एस. कारीसोमनगोददार	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
56	श्री अरुण कुमार सिंह	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम
57	श्री ईश्वर नाथ सहाय	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
58	श्री सुरेन्द्र सिंह निज्जर	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
59	श्री होशियार सिंह	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी
60	श्री नरेश कुमार गुप्ता	हिन्दी अनुवादक
61	श्री जगमोहन	वरिष्ठ लेखा सहायक
62	श्री सतीश कुमार मसौन	लेखाकार-सह-रोकिड्या
63	श्री अश्वनी कुमार मिश्रा	बागवानी अधिकारी
64	श्री पीयूष कान्ति बेरा	बागवानी अधिकारी
65	श्रीमती नवनीता बरुआ महंत	बागवानी अधिकारी
66	श्री हरिन्दर सिंह	बागवानी अधिकारी
67	डॉ. शान्ता कुमार दुबे	बागवानी अधिकारी
68	श्री अवनीश कुमार शर्मा	बागवानी अधिकारी
69	श्री वेदपाल सिंह	बागवानी अधिकारी
70	श्री आलोक कुमार	बागवानी अधिकारी
71	श्री सुनील कुमार रेवार	बागवानी अधिकारी
72	श्री अशोक कुमार	बागवानी अधिकारी
73	श्री एस.एस. पूर्ति	बागवानी अधिकारी
74	श्रीमती मनमीत भाटिया	कनिष्ठ लेखाकार
75	श्री हरीश सिंह	कनिष्ठ लेखाकार
76	श्रीमती शशि मनचन्दा	स्टैनो-टाइपिस्ट
77	श्री नरेन्द्र कुमार मोगा	स्टैनो-टाइपिस्ट
78	श्री अशोक कुमार शर्मा	स्टैनो-टाइपिस्ट

किसानों और व्यापारियों के लिए वरदान

बागवानी उत्पाद के लिए लम्बी दूरी का पहला बहु-रूपात्मक परिवहन समाधान

प्रथम समर्पित बागवानी ट्रेन-राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और कॉनकॉर की संयुक्त पहल

- बागवानी उत्पाद के लिए लम्बी दूरी का बहु-रूपात्मक परिवहन समाधान।
- पूर्वनिर्धारित समय सारणी के अनुसार चलाई जाएगी।
- प्रमुख बाजारों के साथ संपर्क उत्पादन समूह।
- समेकित शीत श्रृंखला समाधान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य।

महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ विशेष रूप से तैयार किए गए माल ढोने वाले (फ्रेट) कंटेनर

- 20 फीट हाइ-क्यूब इन्सलेटेड और हवादार कंटेनर।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन एजेंसी - लॉयड रजिस्टर्ड एशिया द्वारा आईएसओ प्रमाणन।
- कंटेनर के भीतर दीवारों और छत पर फूड ग्रेड थर्मल इन्सलेशन।
- फर्श, बटन रेलों और टॉप रेलों में हवा के लिए छिद्र।
- रेलवे साइडों और लदान किए जाने वाले प्लेटफार्म पर लदाई तथा उतराई के लिए तीन द्वार।



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
आईएसओ 9001 : प्रत्यायित संगठन

85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुडगांव - 122015 (हरियाणा)

दूरभाष: (0124/95124) - 2341209, 23441239, 2347439-42, 2348313, 2342989-92

फैक्स: (0124/95124) - 2342991, 2341225, ईमेल: nhbgurgaon@gmail.com

वेबसाइट: www.nhb.gov.in